पंचायत आम निर्वाचन, 2016

सत्यमेव जयते

मतगणना संबंधी
अनुदेश-पुस्तिका

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

मतगणना संबंधी अनुदेश–पुस्तिका

प्रस्तावना

पंचायत निर्वाचन, 2016 हेतु छः पदों, यथा जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं ग्राम कचहरी के पंच के लिए मतदान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् मतों की गणना का महत्वपूर्ण कार्य करना है। इस प्रयोजन हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना कार्य से संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मियों को संबंधित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत मतगणना प्रक्रिया की पूरी जानकारी रहे और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अनुदेशों एवं निदेशों से भी वे पूर्णतः अवगत हों। अनुदेश पुस्तिका इसी उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु किये गये प्रयास की परिणति है।

आशा की जाती है कि यह अनुदेश-पुस्तिका मतगणना कार्य से संबद्ध सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए उनके दायित्वों के कुशल निर्वहन में सहायक सिद्ध होगी।

ह/-
(अशोक कुमार चौहान)
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	विषय सूची	पृष्ट संख्या
1	2	3	4
1.	अध्याय 1	1. निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी तथा प्रेक्षक की भूमिका।	1
2.	अध्याय 2	मतगणना के लिए प्रशिक्षण।	3
3.	अध्याय 3	मतगणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति।	3
4.	अध्याय 4	मतगणना के लिए नियत किये गए स्थान में प्रवेश।	5
5.	अध्याय 5	निर्वाचन अभ्यर्थियों को मतगणना कार्यक्रम की जानकारी तथा मतगणना कार्य की निरंतरता।	6
6.	अध्याय 6	आपात स्थिति में स्थगित मतदान/पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतों की गणना।	7
7.	अध्याय 7	मतगणना कक्ष के लिए वर्जनाएँ।	8
8.	अध्याय 8	मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मियों के लिए अनुशासन।	8
9.	अध्याय 9	प्रमुख मतगणना सामग्री।	9
10.	अध्याय 10	गणना पटलों की संख्या और उनकी व्यवस्था।	9
11.	अध्याय 11	मतपेटी को खोला जाना – प्रारंभिक तथा विस्तृत गणना।	11
12.	अध्याय 12	गणना की समाप्ति के पूर्व मतपत्रों के विनष्ट हो जाने, हानि पहुँच जाने आदि की दशा में अपनाई जाने वाली कार्रवाई।	22
13.	अध्याय 13	मतगणना परिणाम की घोषणा की कार्रवाई।	23
14.	अध्याय 14	मतों की गणना के पश्चात मतपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा।	24
15.	परिशिष्ट-1	प्रपत्र-12	25
16.	परिशिष्ट-2	प्रपत्र-19	26
17.	परिशिष्ट-3	प्रपत्र-20 (भाग -1)	27
18.	परिशिष्ट-4	प्रपत्र-20 (भाग -2)	28
19.	परिशिष्ट-5	प्रपत्र-20 (भाग -3)	29
20.	परिशिष्ट-6	प्रपत्र-21	30
21.	परिशिष्ट-7	प्रपत्र-22	31
22.	परिशिष्ट-8	प्रपत्र-23	32
23.	परिशिष्ट-9	सूचना का प्रपत्र	33
24.	परिशिष्ट-10	वैध एवं अवैध मतपत्र के संबंध में।	34
25.	परिशिष्ट-11	मतगणना हॉल का लेआऊट।	50
26.	परिशिष्ट-12	मतों की गणना तथा निर्वाचन संबंधी अभिलेख से सम्बन्धित नियमों के अवतरण।	51

अध्याय–1

निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रेक्षक की भूमिका

मतदान के पश्चात मतों की गणना तथा उसके आधार पर निर्वाचन का परिणाम को घोषित करना निर्वाचन प्रक्रिया का अन्तिम दौर है जो कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतों की गणना में किसी प्रकार की भूल होने की स्थिति में मतदान का परिणाम भी दूषित हो जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा मतों की गणना से संबंधित अन्य सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी मतगणना की प्रक्रिया के बारे में सम्यक रूप से अवगत रहें।

2. मतों की गणना तथा उसका परिणाम घोषित करने के बारे में बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के **नियम 72 से 86** तक में प्रावधान किये गये हैं। सहज प्रसंग के लिए नियमावली के उपर्युक्त नियमों का उद्धरण **परिशिष्ट –12** में दिया गया है। यह आवश्यक है कि निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा मतों की गणना से संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों का अध्ययन ध्यान से करें ताकि मतों की गणना के दौरान किसी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होने पाये।

3. निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ अन्य पदाधिकारियों की भूमिका :

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 30 एवं 31 के अन्तर्गत पंचायत निकायों का निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। मतदान के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी का महत्वपूर्ण कार्य मतों की गणना कर निर्धारित प्रपत्र में मतगणना का परिणाम अंकित करना एवं सफल अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करना एवं उन्हें विहित **प्रपत्र** में निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना है। निर्वाची पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की सहायता से मतगणना कार्य सम्पादित कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची पदाधिकारी की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करेंगे ताकि निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियो द्वारा मतगणना कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी मतगणना में सहायता हेतु सरकारी कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इस कार्य हेतु परिपक्व, अनुभवी और कुशल पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में मतों की गणना से संबंधित अध्याय-10 में ``प्राधिकृत पदाधिकारी'' का जिक्र किया गया है। इस अध्याय में वर्णित प्राधिकृत पदाधिकारी की आवश्यकता प्रायः जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना में होती है क्योंकि इसके निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में प्रखंड स्तर के पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी नियुक्त हैं। चूँकि अनुमंडल पदाधिकारी मतगणना के समय एक ही साथ कई प्रखंडों में उपस्थित नहीं रह सकते हैं अतः प्राधिकृत पदाधिकारी की आवश्यकता पड़ती है। शेष पाँच पदों के लिए चूँकि निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी मतगणना स्थल पर उपस्थित रहते हैं अतः इन पदों के लिए मतों की गणना की पूरी जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। इन पदों के लिए निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की मदद से ही मतगणना प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखेंगे एवं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। प्रत्येक गणना पटल के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा पाँच मतगणना सहायक नियुक्त किये

जायेंगे। पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारियों में से भी समुचित चयन कर मतगणना पर्यवेक्षक/ मतगणना सहायक नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन हेतु कार्य कर चुके पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी को उससे भिन्न ग्राम पंचायत के मतों की गणना में लगाया जायेगा और तदनुसार नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा। **प्रत्येक गणना पटल पर नियुक्त मतगणना पर्यवेक्षक को मतगणना के समय विल्कुल सजग रहना है ताकि पदवार एवं अभ्यर्थीवार मतों की छटनी एवं उसकी गणना में किसी भी तरह की गलती न होने पावे। निष्पक्ष एवं सही मतगणना सम्पन्न कराने की प्रथम जिम्मेवारी मतगणना पर्यवेक्षक की ही होगी। अगर उन्हें प्रतीत होता है कि उनके पटल का कोई मतगणना सहायक की नियत किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष या विपक्ष में है तो इसे मतगणना प्रेक्षक/निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी की नजर में तुरत लायेगा ताकि उस मतगणना सहायक को मतगणना स्थल से बाहर किया जा सके एवं आवश्यक कानूनी/विभागीय कार्रवाई की जा सके। प्रत्येक गणना पटल पर मतों के गणना के पश्चात प्रपत्र–19 एवं प्रपत्र–20 (भाग–1) में निर्धारित जगह पर मतगणना पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।**

4. मतगणना कार्यो में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ मतगणना पर्यवेक्षक/ गणना सहायक के निकट संबंधी/ मित्र इत्यादि भी पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी हो सकते है तथा मतगणना हॉल में यदि किसी अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिर्कत्ता/ गणन अभिकर्त्ता द्वारा यह आपत्ति की जाती है कि अमुक पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ गणना पर्यवेक्षक/ गणना सहायक अमुक अभ्यर्थी के मित्र या संबंधी हैं और यदि यह आरोप सही पाया जाता हो तो संबंधित सरकारी सेवक को मतगणना संबंधी कार्यो से मुक्त करते हुए मतगणना परिसर से बाहर जाने का निदेश दिया जाएगा।

5. प्रपत्र– बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 की धारा 2 (भ) में प्रपत्र को परिभाषित किया गया है जो निम्नवत है :-

> **''प्रपत्र''** से अभिप्रेत है इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र; परन्तु आयोग द्वारा परिस्थिति विशेष तथा व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी भी प्रपत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

आयोग द्वारा इस अनुदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट 2 से 8 तक प्रपत्र-19, प्रपत्र-20 (भाग-1), प्रपत्र-20 (भाग-2), प्रपत्र-20 (भाग-3), प्रपत्र-21, प्रपत्र-22 एवं प्रपत्र-23 संलग्न किया गया है। मतगणना परिणाम इस अनुदेश के साथ संलग्न इन प्रपत्रों के अनुसार ही तैयार किया जायेगा एवं प्रकाशित किया जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी इन प्रपत्रों की पर्याप्त प्रतियाँ मुद्रित/ छाया प्रति करा लेंगे।

6. प्रेक्षक – राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्रत्येक मतगणना केन्द्र के लिए उप विकास आयुक्त/अपर जिला दंडाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी या उनके समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को प्रेक्षक के रूप मे प्रतिनियुक्त किया जायेगा। ऐसे पदाधिकारियों की कमी होने पर प्रमंडलीय आयुक्त अपने क्षेत्राधीन अन्य विभागों के वरीय पदाधिकारियों को भी प्रेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। प्रत्येक मतगणना केन्द्र के लिए अलग–अलग प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी तथा किसी भी परिस्थिति में दो मतगणना केन्द्रों के लिए एक प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। प्रेक्षक द्वारा मतगणना प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मतों की गणना में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने पाये। आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त प्रेक्षक द्वारा जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)/प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकेगा।

यद्यपि सभी पदों के लिए मतों की गणना का परिणाम तथा अभ्यर्थी के बारे में निर्वाचन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाना है। जिला परिषद/ पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच एवं ग्राम पंचायत मुखिया पद के लिए डाले गये मतों की गणना उपरान्त **निर्वाची पदाधिकारी प्रपत्र-21 में तैयार किये गये निर्वाचन परिणाम की विवरणी पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा उसे प्रतिनियुक्त प्रेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करायेंगे।** इस प्रकार प्रेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रपत्र-21 के आधार पर ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-22 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी तथा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक के बीच निर्वाचन परिणाम के बारे में कोई मतभेद हो तो उसपर जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) का आदेश प्राप्त किया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

प्रेक्षकों को मतगणना संबंधी निर्देशों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहे, इसके लिए इस अनुदेश पुस्तिका की प्रति उन्हें पहले ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

अध्याय-2

मतगणना के लिए प्रशिक्षण

मतदान की प्रक्रिया की तरह मतगणना की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। मतपेटी खोलने से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा और तत्पश्चात गिनती किये हुए मतपत्रों, प्रपत्रों में भरे गए मतगणना संबंधी आंकड़ों एवं अन्य कागजात को सीलबन्द करके रखने तक के जो विस्तृत कार्य हैं, उनके सम्बन्ध में मतगणना कर्मियों को आवश्यक निर्देश, अनुभव एवं दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। मतगणना में छोटी से छोटी भूल भी निर्वाची पदाधिकारी को परेशान कर सकती है, साथ ही मतगणना के अंतिम परिणाम को दूषित कर सकती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि मतगणना कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दो बार निश्चित रूप से दिलाने की व्यवस्था की जाए।

अध्याय-3

मतगणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति

1. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के **नियम-48** के अन्तर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता एक मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। परन्तु आपात स्थिति यथा लगातार मतगणना चलते रहने और मतगणना के पर्यवेक्षण में मानसिक एवं शारीरिक थकान एवं शौचादि प्राकृतिक आवश्यकता के आलोक में पूर्व से नियुक्त मतगणना अभिकर्त्ता के स्थान पर किसी दूसरे मतगणना अभिकर्त्ता को नियुक्त करने की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी दे सकते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी वैसा करना चाहे। मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति नियमावली के प्रपत्र-12 (परिशिष्ट-1 पर संलग्न) में दो प्रतियों में अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता करेंगे। प्रतिस्थानी मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति भी प्रपत्र 12 में ही की जायगी और **उसके ऊपर लाल रोशनाई से प्रतिस्थानी गणना अभिकर्त्ता लिख दिया जायेगा।** अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता नियुक्ति पत्र की दो प्रतियाँ मतगणना अभिकर्त्ता को देगा जिनमें एक वह अपने पास रखेगा तथा दूसरी प्रति को मतगणना के लिए निश्चित की गई तारीख को नियत समय से कम-से-कम एक घंटा पूर्व निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

को प्रस्तुत करेगा और उसमे अन्तर्विष्ट घोषणा पर प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेगा और वह पदाधिकारी मतगणना अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर ऊपर दिये गए उसके हस्ताक्षर से मिलान करके एवं हर तरह से संतुष्ट होने के बाद उसे मतगणना कक्ष में प्रवेश करने के समय प्रस्तुत करने के लिए पहचान-पत्र अग्रिम रूप से जारी कर देगा और इस नियुक्ति पत्र को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा। यह पहचान पत्र निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए जिससे कि यह मालूम हो कि वह किसका अभिकर्त्ता है। मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा पूर्व नियुक्त मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति को प्रतिसंहृत कर सकता है तथा ऐसी प्रतिसंहरण वाली घोषणा को निर्वाची पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी को जो इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो, को प्रस्तुत कर सकता है। चूँकि पंचायत निर्वाचन नियमावली में नियुक्ति के प्रतिसंहरण का कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है, अभ्यर्थी/ निर्वाची अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को, वह जिस रूप में भी की गयी हो, स्वीकृत किया जा सकता है। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभिर्थियों की संख्या दस या इससे अधिक है तो मतगणना की तिथि से दो दिन ही पूर्व ही निर्वाची पदाधिकारी पहचान पत्र निर्गत कर सकेंगे।

2. मतगणना के दिन केवल पहचान पत्र वाले मतगणना अभिकर्त्ता को गणना हाल के अन्दर जाने की अनुमति दी जायेगी। उपर्युक्त प्रावधानों से सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम रूप से कृपया अवगत करा दिया जाय। मतगणना पटलों पर मतगणना अभिकर्त्ता/ अभ्यर्थी तथा निर्वाचन अभिकर्त्ता को कमरे/ कक्ष के किसी भी पटल के पास जाने की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु किसी भी हालत में मतपत्र को हस्तगत कर देखने की या किसी मतपत्र को स्पर्श करने की छूट नहीं दी जायगी। **नियम 48 (1)** के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी एक ही गणन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है, अर्थात गणना हॉल के अन्दर एक से अधिक गणना टेबुल रहने पर भी किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति की जा सकेगी। अगर किसी मतगणना केन्द्र पर किसी पद विशेष की मतगणना एक से अधिक हॉल/ कमरा में एक साथ चल रही हो तो सभी हॉल/ कमरा के लिए एक-एक मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्त करने की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा मुखिया के लिए निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही गणन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है, यद्यपि एक ही समय छः पदो के लिए एक से अधिक टेबुलों पर मतों की गणना की जायेगी। पर इन उम्मीदवारो का गणन अभिकर्त्ता सिर्फ उन्हीं टेबुलों, जहाँ सबंधित पदों (मुखिया, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य एवं पंचायत समिति के सदस्य) के लिए मतों की गणना की जा रही है, पर निगरानी रखने हेतु जा सकता है। जहाँतक ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच पद के लिए लड़ने वाले अभ्यर्थी का प्रश्न है, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त गणन अभिकर्त्ता सिर्फ उसी टेबुल के पास रहेगा जहाँ संबंधित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गणना हो रही हो। चूंकि ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच के लिए गठित विशेष प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतों की गणना एक ही टेबुल पर की जायेगी, इसलिए इस प्रकार के गणन अभिकर्त्ता को दूसरे टेबुल के नजदीक जाने नहीं दिया जायेगा।

3. अभ्यर्थी या उनका निर्वाचन अभिकर्त्ता एक ही साथ या अलग-अलग गणना हॉल में जहाँ उसके क्षेत्र एवं पद से संबंधित मतों की गणना की जा रही हो, अपनी सुविधानुसार आ-जा सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्य तथा ग्राम कचहरी के पंच के अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा उनका गणन अभिकर्त्ता केवल अपने से संबंधित टेबुल के नजदीक ही रह सकता है, जिला परिषद/ पंचायत समिति के सदस्य पद / सरपंच तथा मुखिया पद के अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा गणन अभिकर्त्ता गणना हॉल के अन्दर संबंधित किसी भी टेबुल पर चल रहे मतगणना कार्य पर निगरानी रखने के लिए जाने में स्वतंत्र है। **परन्तु एक समय में एक टेबुल के पास अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता अथवा उसका गणन अभिकर्त्ता में से केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।**

4. राज्य के मंत्री/विधायक/सांसद तथा अन्य राजनैतिक नेताओं के रिश्तेदार आदि भी पंचायत निर्वाचन में विभिन्न पदों के प्रत्याशी हो सकते हैं। अतएव यह सम्भव है कि इस प्रकार के अभ्यर्थी द्वारा किसी मंत्री, विधायक, सांसद अथवा राजनैतिक नेता को निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया जाये। राज्य निर्वाचन आयोग इस संभावना के बारे में विचारोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि इस प्रकार के निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता को गणना हॉल के अन्दर जाने की अनुमति देने पर मतगणना कर्मी तथा अन्य पदाधिकारी के मन में दबाव या डर पैदा हो सकता है जिससे गणना प्रक्रिया की शुद्धता एवं निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। गणना प्रक्रिया की शुद्धता एवं निष्पक्षता बरकरार रखने हेतु यह आवश्यक है कि इस प्रकार की निर्वाचन अभिकर्त्ता अथवा गणन अभिकर्त्ता पर अंकुश रहे ताकि वे लोग गणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकें। अतएव **कोई अभ्यर्थी यदि किसी मंत्री, विधायक/सांसद या राजनैतिक नेता को अपना निर्वाचन अभिकर्त्ता अथवा गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करना चाहते हों तो उस पर राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।** इस प्रकार का प्रस्ताव निर्वाची पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को भेजेगा। इसी प्रकार की पाबन्दी आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों पर भी रहेगी और इन आपराधिक तत्वों को निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करने के प्रश्न पर, अगर कोई हो, निर्वाची पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को प्रतिवेदन भेजेगा और आयोग के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

5. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने की स्थिति में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई, जिसमें कानूनी कार्रवाई भी शामिल है, की जानी चाहिए। अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा गणन अभिकर्त्ता द्वारा गणना हॉल के अन्दर अनुशासन भंग करने की स्थिति में उसे तुरत हॉल से बाहर कर दिया जाएगा और उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। इसका उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के अधीन अपराधिक मामला इस आधार पर दायर किया जायेगा कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में निर्वाचन का फलाफल प्रभावित करने हेतु ऐसी स्थिति उत्पन्न करायी गई है।

अध्याय-4

मतगणना के लिए नियत किये गए स्थान में प्रवेश

1.बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-74 के अन्तर्गत मतगणना स्थल पर निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है :-

(क) ऐसे व्यक्ति जिसे मतगणना में सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाय;

(ख) आयोग या जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता और मतगणना अभिकर्त्ता, और

(घ) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक।

निर्वाचन के संबंद्ध में कर्त्तव्यारूढ़ ``लोक सेवक'' के अन्तर्गत सामान्यतः पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं। ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो या सादे लिवास में, सामान्य नियमानुसार गणना कक्ष के अन्दर जाने की

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबतक कि निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी उन्हें विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अन्दर बुलाने का निर्णय नहीं लें। यह सुनिश्चित किया जाये कि अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन से अभ्यर्थी/ अभिकर्त्ता के बीच आतंक अथवा भय का वातावरण कायम नहीं हो।

मतगणना की अवधि में कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद उस जिला/ अनुमंडल/ प्रखंड मुख्यालय या अन्यत्र जहाँ बज्रगृह/ मतगणना हॉल स्थापित किया गया है, वहाँ भ्रमण पर नहीं जायेंगे। परन्तु यदि उन्हें किसी विशेष व्यक्तिगत या सामाजिक बाध्यता (दाह संस्कार, श्राद्ध, विवाह आदि) के कारण उक्त स्थानों पर जाना आवश्यक हो तो उसकी अग्रिम सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देते हुए उन्हें उक्त स्थानों पर जाने की इजाजत रहेगी। पर किसी भी परिस्थिति में उन्हे बज्रगृह तथा मतगणना केन्द्र के अन्दर या उसके इर्द-गिर्द में जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि उनके द्वारा बज्रगृह तथा मतगणना हॉल के अन्दर या इर्द-गिर्द में जाने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें सख्ती से रोका जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

2. गणन अभिकर्त्ता को मतगणना के नियत स्थान में तबतक प्रवेश नहीं करने दिया जाय जबतक कि वह अपनी नियुक्ति पत्र की द्वितीय प्रति नहीं देते हैं। इसी प्रकार निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को भी अपने-अपने नियुक्ति पत्र की द्वितीय अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

3. उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार ही मतगणना अभिकर्त्ता को हॉल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से अत्यधिक भीड़-भाड़ और अव्यवस्था होगी तथा विधि और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जायगी। इससे गणना की प्रगति एवं शुद्धता भी प्रभावित होगी।

4. यदि निर्वाची/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी या अन्य अधिकारी को गणना कक्ष में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में युक्तियुक्त शंका हो, तो अपेक्षानुसार उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, भले ही प्रवेश के लिए उसे वैध प्राधिकार पत्र प्राप्त हो।

5. अपने कर्त्तव्यों के पालन में निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी केवल राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों से आबद्ध हैं। उन्हें राजनीतिक नेताओं से जिसमें मंत्री भी सम्मिलित हैं आदेश नहीं लेने हैं, या उनके लाभ के लिए पक्षपात नहीं करना है।

6. पत्रकारों/ फोटोग्राफरों द्वारा मतगणना कक्ष के बाहर से फोटो लिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्याय-5

निर्वाचन अभ्यर्थियों को मतगणना कार्यक्रम की जानकारी तथा मतगणना कार्य की निरंतरता

1. जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के लिए जो भी तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करें, उसके संबंध में दिये गये **प्रपत्र-5** में अभ्यर्थियों/ निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को इसकी पूर्व सूचना दे दें। यदि किसी अपरिहार्य कारण से पूर्व में निर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय में परिवर्त्तन करना अनिवार्य हो जाये तो इस पर आयोग की अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं ऐसे परिवर्त्तन की सूचना निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता को लिखित में दी जायेगी।

2. मतगणना कार्य का प्रारम्भ निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट समय पर कर देना चाहिए और मतगणना तबतक चलती रहेगी जबतक कि पूरी न हो जाय। एक साथ एक विशेष ग्राम पंचायत के अधीन सभी मतदान केन्द्रों के मतों की गणना प्रारम्भ की जायेगी तथा उस ग्राम पंचायत विशेष के मतों की गणना समाप्त होने पर ही दूसरे ग्राम पंचायत का गणना कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। एक गणना पटल पर एक समय में एक ही मतदान केन्द्र के मतों की गणना की जायेगी। मतगणना कक्ष में गणना पटल की संख्या विशेष ग्राम पंचायत के अधीन मतदान केन्द्र की संख्या से अधिक होने की दशा में शेष बचे गणना पटलों का व्यवहार दूसरे ग्राम पंचायत के मतों की गणना में किया जायेगा ताकि कोई भी मतगणना पटल तथा गणना कार्मिक बेकार नहीं रहे।

3. मतों की गणना यथासाध्य लगातार जारी रहेगी। फिर भी यदि किसी अपरिहार्य कारणवश मतगणना स्थगित करनी पड़े तो उस स्थिति में मतपत्र एवं अन्य कागजात सीलबन्द कर सुरक्षित रखे जायेंगे और इस परिस्थिति में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता, अगर वे चाहें, अपनी सील लगा सकते हैं। यदि कोई हंगामा या विधि व्यवस्था के कारण अथवा कोई प्राकृतिक आपदा के कारण मतगणना स्थगित करनी पड़े तो स्थिति सामान्य होने की दशा में ऊपर लिखित सीलबन्द पैकेटों को खोलकर पुनः मतगणना प्रारम्भ की जायेगी तथा उस वक्त वही प्रक्रिया अपनाई जायगी जैसा कि प्रारम्भ में की गई थी। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि रोशनी के अभाव या अन्य कई कारणों से रात्रिकाल में मतों की गणना सुरक्षा के दृष्टिकोण से चालू रखना उचित और संभव नहीं प्रतीत हो। इस स्थिति में अन्तिम क्षण में उतनी ही मतपेटिका बज्रगृह से गणना कक्ष में लायी जायेगी जिनमें डाले गये मतों की गणना सुरक्षा के दृष्टिकोण से समय पर हो सके। **परन्तु इसमें यह अवश्य ध्यान में रखा जाय कि जिन-जिन मतदान केन्द्रों के मतों की गणना हेतु मतपेटिका अन्तिम क्षण में लायी गयी हो उन मतदान केन्द्रों में डाले गये सभी मतों की गणना उसी दिन ही सम्पन्न हो जाना चाहिए।** इस प्रकार रात्रि काल के लिए मतों की गणना स्थगित करने की स्थिति में ऊपर बताये गये तरीके से सभी मतपत्र एवं कागजात सीलबन्द कर सुरक्षित रखे जायेंगे और इस परिस्थिति में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणन अभिकर्त्ता, अगर वे चाहे, अपनी सील लगा सकते हैं। अगले दिन पुनः यथासमय मतों की गणना प्रारंभ की जायगी और उस वक्त भी वही प्रक्रिया अपनाई जायगी जो शुरू में अपनाई गई थी।

अध्याय-6

आपात स्थिति में स्थगित मतदान/पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतों की गणना

नियम 71 के प्रावधानों के अनुसार कतिपय स्थितियों में मतदान स्थगित करने/पुनर्मतदान कराने की व्यवस्था है। ऐसा हो सकता है कि कई केन्द्रों में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार स्थगित मतदान को पुनः कराया गया हो या मतदान पुनः बिल्कुल नये सिरे से कराया गया हो। ऐसी स्थिति में स्थगित मतदान या पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतों की गणना भी एक साथ ही की जायगी बशर्ते कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मतों की गणना समाप्त होने के पूर्व इस प्रकार स्थगित/पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतपेटिका गणना स्थल पर पहुँच गयी हो। कहने का मतलब यह है कि स्थगित/पुनर्मतदान मतों से सम्बन्धित मतपेटिका प्राप्त होने पर उन मतपेटिका में डाले गये मतों की गणना भी की जायेगी मानों कि इन पेटिका में डाले गये मतपत्र की गणना के लिए भी कार्यक्रम पहले से बनाया गया हो।

अध्याय-7

मतगणना कक्ष के लिए वर्जनाएँ

1. मतगणना कक्ष के आस-पास भीड़ का जमाव न होने दें।
2. मतगणना कक्ष के आस-पास शोर-शराबा, नारेबाजी एवं किसी के द्वारा लाउड स्पीकर न बजाया जाय। केवल इसका उपयोग निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी की ओर से चुनाव परिणाम के रूझान की घोषणा के निमित्त किया जा सकता है।
3. अस्थाई संरचना (शामियाना आदि) की हालत में खुले तार (नन इन्सुलेटेड) से वायरिंग नहीं की जानी चाहिए।
4. अस्थाई संरचना के समीप या भीतर चाय आदि बनाने के लिए किसी भी रूप में अग्नि नहीं जलानी चाहिए।
5. स्थाई या अस्थाई गणना केन्द्र के भीतर धूम्रपान का बिल्कुल निषेध होना चाहिए।
6. किसी भी मतगणना कर्मी एवं अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता/ गणन अभिकर्त्ता को नशे की हालत में मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दें।

अध्याय-8

मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अनुशासन

मतगणना कर्मियों के आचरण एवं हाव-भाव से यह परिलक्षित होना चाहिए कि वे किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष अथवा विपक्ष में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें बिना किसी भय अथवा दवाब के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से नियमानुसार अपने कर्त्तव्यों का सम्पादन करना चाहिए। गलत आचरण के लिए भारतीय दण्ड संहिता एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में दण्ड एवं जुर्माना का प्रावधान है। हर हालत में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 130 की उप-धारा (6) में स्पष्ट उल्लिखित है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पचायत) या निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करेंगे। अधिनियम की धारा 130 की उप-धारा (13) में यह उल्लिखित है कि यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है तो वह तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा। **अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (17) के खण्ड (1) की उपखण्ड (ग), (घ) एवं (च) में मतपत्रों को कपटपूर्वक विरूपित करने या नष्ट करने या किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्ति करने या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करने या उसके कब्जे में कोई मतपत्र पाये जाने या मत पत्रों को नष्ट करने या ले जाने संबंधी कार्य के लिए दोषी व्यक्ति के लिए उपधारा (17) के खण्ड (2) में दण्ड संबंधी प्रावधान किये गये हैं।** अतएव वास्तविक गणना प्रारम्भ करने के पूर्व इन प्रावधानों से सभी को अवगत करा दिया जाना चाहिए। अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्था के निमित्त गणना कक्ष के दरवाजे/ दरवाजों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल/ पुलिस को ड्युटी पर तैनात कर दें। किसी भी व्यक्ति को निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी की अनुमति बिना न तो कक्ष में प्रवेश करने दें न बाहर जाने दें। बार-बार बाहर जाने की अनुमति लेने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखें। इस निमित्त या साध्य अल्पकालिक शौचालय की व्यवस्था नजदीक में ही कर दे सकते हैं। जो व्यक्ति निर्देशों की अवज्ञा करता नजर आये, उन्हें चेतावनी दें तथा उन्हें बदला भी जा सकता है। कमरे या कक्ष के भीतर धूम्रपान तो नही हीं करने दें, साथ ही यह भी देखें कि कोई नशे में न हो।

अध्याय-9

प्रमुख मतगणना सामग्री

मतगणना पटल पर निम्नलिखित निर्वाचन सामग्रियो की आवश्यकता पड़ेगी :-

1. पेन्सिल/डॉट पेन
2. चाकू या ब्लेड
3. कागज (एक ताव)
4. गणना पर्चियाँ
5. लपेटने के लिए सीटें – ब्राउन पेपर
6. सूई अथवा सूजा (सूआ)
7. गीला स्पन्ज
8. रबर बैंड
9. सुतली अथवा रबर पैड
10. पेपर वेट या पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े
11. सीलिंग मेटेरियल (लाह), मोमबत्ती, मेटलसील (आर) इत्यादि
12. 7 (सात) प्रकार के प्रतिक्षेपित करने वाली रबर की मुहरें जिसपर निम्नांकित प्रविष्टियाँ अंकित हों –
    (क) कोई चिह्न नहीं है,
    (ख) प्रभेदक चिह्न/पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है,
    (ग) एक से अधिक अभ्यर्थी को मत दिया गया है,
    (घ) मतदाता पहचाना जा सकता है,
    (ङ) मतपत्र क्षतिग्रस्त या विकृत है,
    (च) मतपत्र असली नहीं है,
    (छ) विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया हुआ है।
13. पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के अध्यधीन प्रपत्र 19,20,21 एवं 22
14. ट्रे
15. कुर्सी
16. टेबुल
17. अपेक्षानुसार दरी
18. पिलास
19. कैंची
20. कैलकुलेटर
21. फ्लाई लीफ
22. स्टाम्प पैड

अध्याय-10

गणना पटलों की संख्या और उनकी व्यवस्था

1.ग्राम कचहरी के पंच एवं सरपंच, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य, यानि छः पदों के लिए निर्वाचन कराया गया है। इन छः पदों के लिए सफेद कागज पर छः अलग-अलग रंगों से मतपत्रों का मुद्रण किया गया है। ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए हरा रंग के, ग्राम पंचायत के सदस्य

के लिए काला रंग के, पंचायत समिति के सदस्यों के लिए नीला रंग, जिला परिषद के सदस्य के लिए लाल रंग, ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए कत्थई रंग तथा ग्राम कचहरी के पंच के लिए नारंगी रंग के मतपत्र छपाये गये हैं। प्रत्येक मतदाता को छः मतपत्र दिये गये हैं और उनके द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत देकर सभी छः मतपत्रों को एक ही मतपेटिका में डाला गया है, अर्थात् प्रत्येक मतपेटी में उपर्युक्त छः पदों के लिए व्यवहृत मतपत्र पाये जायेंगे।

2. मतगणना कक्ष का एक सांकेतिक खाका परिशिष्ट - 11 पर दिया गया है। गणना कक्ष में कितने पटल होंगे, यह गणना कक्ष की संख्या या आकार पर निर्भर करेगा। निर्वाची पदाधिकारी अपने विवेकानुसार तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान मे रखते हुए यह तय करेंगे कि गणना कक्ष में कितने पटल हों। इसमें यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि गणना पटलों की संख्या इतनी अधिक नहीं हो कि उसपर नियंत्रण रखना संभव नहीं हो सके। मतगणना कक्ष में गणना पटल की संख्या तय करने के पूर्व निर्वाची पदाधिकारी यह जाँच कर लेंगे कि उनके प्रखंड के अधीन कौन-कौन सा ग्राम पंचायत में सबसे अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (मतदान केन्द्र) हैं। मान लिया जाय कि ग्राम पंचायत में सबसे अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (मतदान केन्द्र) 16 है तो उस स्थिति में यह वांछनीय होगा कि मतगणना कक्ष में 16 गणना पटल, 8-8 की दो पंक्तियों मे रखें। उद्देश्य यह रहना चाहिए कि एक ही साथ एक विशेष ग्राम पंचायत के अधीन सभी मतदान केन्द्र पर मतों की गणना प्रारम्भ हो जाय। अर्थात किसी एक पंचायत के अधीन सभी मतदान केन्द्र के मतों की गणना एक साथ प्रारम्भ कर देनी है। यह संभव है कि किसी विशेष ग्राम पंचायत में मतदान केन्द्रो की संख्या मतगणना पक्ष में रखे गये गणना पटलों से कम हो तो उस स्थिति में शेष बचे गणना पटलों को खाली नहीं रखा जायेगा, बल्कि दूसरे पंचायत के मतदान केन्द्र के मतों की गणना भी प्रारम्भ कर दी जायेगी। उदाहरण के लिए किसी ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्र की संख्या 10 हो तो 16 गणना पटल वाले गणना कक्ष में 6 गणना पटल खाली रहेगा। उस परिस्थिति में दूसरे पंचायत के मतदान केन्द्रो में से 6 मतदान केन्द्र के मतों की गणना बचे हुए शेष 6 गणना पटल पर प्रारम्भ कर दी जायगी ताकि गणना पटल तथा गणना कार्मिकों का उपयोग पूर्ण रूप से हो सके। कहना निष्प्रयोजन है कि आपके द्वारा भलीभांति विचार कर सक्षम एवं दक्ष गणना कार्मिकों का चयन किया गया है। **प्रत्येक गणना पटल के लिए एक गणना दल होगा जिसमें एक गणना पर्यवेक्षक तथा पाँच गणना सहायक होंगे।** जैसा कि परिशिष्ट - 11 से स्पष्ट होगा कि निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी के लिए उँचा पटल की व्यवस्था की गई है ताकि उनके द्वारा कार्मिकों पर सही निगरानी तथा गणना कक्ष में पूर्ण अनुशासन कायम रखा जा सके। प्रत्येक टेबुल में गणना दल इस प्रकार अपना आसन ग्रहण करेगा ताकि गणना पर्यवेक्षक ऊँचा टेबुल की ओर मुंह रखकर बैठे और परिशिष्ट-11 में दर्शाये गये सांकेतिक खाका के अनुसार उसके दाहिने या बायें भाग में पाँच गणना सहायक अपना आसन ग्रहण इस प्रकार करेगा जिससे कि अभ्यर्थी/मतगणना अभिकर्त्ता को मतों की गणना देखने में असुविधा न हो। गणना पर्यवेक्षक मुखिया के पद के लिए डाले गये मतपत्रों के बंडल के प्रभारी रहेंगे और पाँच गणना सहायक क्रमशः ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के लिए डाले गये मतपत्रों के बंडल के प्रभारी होंगे। परन्तु एक समय में एक पद के मतपत्रों की गणना, गणन पर्यवेक्षक एवं सभी मतगणना सहायक समेकित रूप से करेंगे।

3. सभी छः पदों के लिए मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले गये हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र में औसतन तीन मतपेटिकाएं होंगी जिसमें मतपत्र को डाला गया हो। किसी विशेष मतदान केन्द्र में बड़े आकार की मतपेटिका उपलब्ध नहीं होनें की दशा में तीन से अधिक मतपेटिकाएं भी हो सकती हैं। पर चूँकि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक-एक गणना पटल रखा गया है इसलिए किसी एक समय सभी मतपेटिकाएं संबंधित केन्द्र के लिए निर्धारित गणना पटल पर रखी जायेंगी। गणना पटल का आकार किस प्रकार होगा, यह निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध साधनों के आधार पर अपने विवेकानुसार तय किया जायेगा। प्रत्येक गणना पटल का आकार इस प्रकार होना चाहिए ताकि मतपत्र की गणना आसानी से हो सके तथा गणना कार्मिक आसानी से मतपत्र को सम्भाल सकें।

अध्याय–11

मतपेटी को खोला जाना – प्रारंभिक तथा विस्तृत गणना

1. निविदत्त मतपत्रों की गणना नहीं करनी है।

2. मतगणना ग्राम पंचायतवार/ मतदान केन्द्रवार/ पदवार की जायगी। मतदत्त मतपेटियों (polled ballot boxes) को बज्रगृह से मतदान केन्द्रवार (अर्थात मतदान केन्द्र 1 से प्रारम्भ कर) निकालेंगे। एक नम्बर के मतदान केन्द्र पर व्यवहृत सभी मतपेटिकाओं को एक ही साथ बज्रगृह से निकाल कर पटल नम्बर 1 पर लाया जायेगा। इसी प्रकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सभी मतदान केन्द्रों की मतपेटियों को क्रमवार पटल नम्बर 2, 3 इत्यादि पर रखा जायेगा। परन्तु एक समय गणना पटल में एक मतपेटी खोली जाय और सर्वप्रथम उस टेबुल पर उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित मतपत्र लेखा तथा पेपर सील लेखा के सीलबन्द लिफाफे/ पैकेट को लाकर रखा जाय। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी निकाल ली जाय और निर्वाची पदाधिकारी के पास रखी जाय। जैसे ही कोई मतपेटी गणना पटल पर रखी जाय, अभिकर्त्ताओं को यह अनुमति दी जायगी कि वे समाधान कर लें कि उस मतपेटी पर लगी हुई मुहरें यथावत हैं और उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।

3. अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता/ गणना अभिकर्त्ता पहचान चिह्न एवं पेपर सील की जाँच करने के हकदार हैं। जैसे ही कोई मतपेटी खोलने हेतु लायी जाए, प्रत्येक उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता को यह पहचान करने की अनुमति दी जाएगी कि वह मतपेटी उसी मतदान केन्द्र की है (जो उसके ऊपर लगे लेबुल से पता चल जायेगा) अभ्यर्थी/ अभिकर्त्ता मतमेटी में प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या भी नोट कर सकेंगे।

4. प्रत्येक मतपेटी के पेपर सील का मिलान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिये गये पेपर सील लेखा में अंकित की गई संख्या से किया जाना चाहिए। यदि पेपर सील लेखा और किसी विशिष्ट मतपेटी में वस्तुतः व्यवहृत पेपर सील की क्रम संख्या का मिलान करने पर यह पाया जाय कि क्रम संख्या नहीं मिलती है, तो प्रथम दृष्टया यह संदेह किया जा सकता है कि उस मतपेटी में कोई गड़बड़ी की गई है अथवा पेपर सील लेखा में ही कोई गलती है। इस प्रश्न का निर्णय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा समर्पित पेपर सील लेखा और अन्य सुसंगत परिस्थितियो के साथ-साथ अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्त्ताओं द्वारा नोट की गई पेपर सील संख्या, यदि कोई हो, की जाँच करने के बाद किया जा सकता है। यदि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा समर्पित पेपरसील लेखा में गलती का मामला हो तो इस अन्तर की उपेक्षा की जा सकती है, परन्तु यह विश्वास हो जाय कि मतपेटी में वस्तुतः कोई गड़बड़ी की गई है तो ऐसे मामले का पूर्ण विवरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए और उस मतपेटी को अलग रखकर प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए।

5. यदि पेपर सील क्षतिग्रस्त स्थिति में पाया जाय तो उस मतपेटी को नहीं खोला जाय। पुनः सीलबन्द कपड़े या थैले में लपेट कर उसे अलग रख दिया जाना चाहिए तथा इन तथ्यों की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर आयोग के निदेश की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। जहाँ पर ऐसी मतपेटिकाँ रखी जायें, वहाँ पर इस आशय की सूचना एक कार्डबोर्ड पर लिखकर लगा दी जाय, ताकि लोगों में इन मतपेटिकाओं के संबंध में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न होने पाये।

6. मतपेटियों के मुहरों एवं पेपर सील की जाँच कर लिए जाने के पश्चात मतपत्रों को सम्बन्धित गणना पटलों पर निकाल लिया जाना चाहिए।

पंचायत निर्वाचन के छःभिन्न-भिन्न पदों के लिए सफेद कागज पर छः अलग-अलग रंगों में मतपत्र छपाये गये हैं। वोट अंकित करने के पश्चात सभी छः मतपत्र मतदाता द्वारा एक ही मतपेटी में डाले जायेंगे। किसी कारणवश कुछ मतदान केन्द्रों में छः पदों में से एक या कुछ पदों पर पुनर्मतदान कराया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, पंचायत समिति/ जिला परिषद के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच या मुखिया पद के लिए मतपत्र की छपाई में या वितरण में गलती के कारण या अन्य कोई कारण से सम्बन्धित कई मतदान केन्द्रों में पुनर्मतदान कराने का आदेश आयोग द्वारा दिया गया है तो निर्धारित तिथि को उन केन्द्रों पर सिर्फ उन पदों के लिए पुनर्मतदान होगा। यह सम्भव है कि जिला परिषद/ पंचायत समिति के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के अधीन कुछ मतदान केन्द्रों पर सभी पदों के लिए वोट डाला गया हो। पर चूँकि सिर्फ जिला परिषद/ पंचायत समिति के सदस्यों के पद के लिए उन कुछ मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है इसलिए इन (जिला परिषद/ पंचायत समिति) पद/ पदों से संबंधित मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी। **अतएव निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ऐसे मामले में संबंधित गणना दल के गणना पर्यवेक्षक को सूचित कर दिया जायेगा कि किस विशेष मतदान केन्द्र मे किस पद, जिसके बारे में पुनर्मतदान कराया जा रहा है, से संबंधित डाले गये मतपत्र को अलग रखा जायेगा और उसे गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।**

7. सभी गणना अभिकर्त्ताओं को यह समाधान कर लेने देना चाहिए कि मतपेटियों से सभी मतपत्र निकाल लिये गये हैं और वह खाली है। गणना पर्यवेक्षक एवं गणना अभिकर्त्ताओं को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए कि मतपत्रों को निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर न होने पाये।

8. यह संभव है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित **प्रपत्र-9** के अनुसार न होकर मतपत्र गलत तरीके से छप गया है, यथा कुछ मतपत्र में अभ्यर्थी का नाम **प्रपत्र-9** के अनुसार नहीं छपा है या एक ही निर्वाचन प्रतीक एकाधिक अभ्यर्थी के नाम के विरुद्ध छप गया है या **प्रपत्र-9** में किसी अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक से भिन्न निर्वाचन प्रतीक मतपत्र में छप गया हो, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित वार्ड, जिसके बारे में गलत मतपत्र छप गया है परन्तु मतदान के दौरान प्रकाश में नहीं आया, से संबंधित मतों की गणना नहीं की जायेगी। इसके बारे में विस्तृत प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को भेजा जायेगा और आयोग के आदेशानुसार उसपर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

9. यदि किसी मतपेटी से मतपत्रों को बाहर निकालने के बाद यह पता चलता है कि मतपत्रों को बंडल बना कर उसपर मुहर लगाकर मतपेटी में गिराया गया है तो वैसी स्थिति में उस मतपेटी को अलग रखा जायेगा तथा इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजते हुए आयोग का निदेश प्राप्त करेगें।

10. गणना पटल पर रखी गयी सभी मतपेटियों में से एक के बाद एक मतपेटी के मतपत्र निकाल लिये जाने के बाद मतपत्र छांट लिये जायेंगे और उनकी अलग-अलग गिनती कर अन्त में मतपत्र लेखा (प्रपत्र-17) से मिलान कर लिया जायेगा कि मतपत्र लेखा में मतपेटी में डाले गये मतपत्रों की कुल संख्या और सभी मतपेटियों से निकाल कर पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या मिलती है या नहीं। यदि कोई मामूली अन्तर हो, तो मतपत्र लेखा में उस अन्तर को दर्शा देना चाहिए। यदि मतपेटी में पाये गये कुल मतपत्रों की संख्या तथा मतपत्र लेखा में अंकित संख्या में बहुत अन्तर मालूम पड़े तो संदेह करना चाहिए कि कहीं बड़ी गड़बड़ी की संभावना है। ऐसे अवसर पर पीठासीन पदाधिकारी की डायरी/ गश्तीदल पदाधिकारी का रिपोर्ट, यदि हो तो, देखना चाहिए। यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संदेह पुष्ट होते हों तो ऐसे मतदान केन्द्र के बारे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाय और आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा में मतदान केन्द्र की गणना स्थगित रखी जाय।

(क) गणना पटल में रखी गयी सभी मतपेटिकाओ में से एक के बाद एक पेटिका से मतपत्र निकालकर ग्राम कचहरी के पंच, ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के सभी मतपत्र पदवार 6 (छः) अलग-अलग बंडल में छांट लिये जायेंगे। यदि मतपत्र की संख्या अधिक होने के कारण एक पद विशेष के सभी मतपत्र को एक बंडल में रखने में कठिनाई हो तो उन्हें एक से अधिक बन्डल में रखा जाये और इस प्रकार से पद विशेष के लिए सभी बंडल एक साथ अलग रखा जाए। छः पदों के लिए मतपत्र टेबुल पर अलग-अलग लिफाफे में या ट्रे में गणना पर्यवेक्षक के सामने रखा जायेगा।

(ख) ऊपर कंडिका में वर्णित प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के सदस्य पद के लिए डाले गये मतपत्रों को अभ्यर्थीवार छाँट कर एवं रबर बैंड से बण्डल बनाकर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग रखा जायेगा। यथा संभव यह बंडल 50-50 की संख्या में होंगे। स्पष्ट है अन्तिम बन्डल 50 मतपत्र से कम वाला भी हो सकता है। तत्पश्चात संदेहात्मक मतपत्रों को एक साथ कर रबर बैंड लगाकर एक बन्डल बनाकर रख दिया जाय। संदेहात्मक मतपत्रों में ऐसे मतपत्र होंगे जिन्हें गणना सहायकों ने संदेहात्मक समझा होगा या जिनपर अभ्यर्थी के गणना अभिकर्त्ता द्वारा संदेह/ आपत्ति किये गये हों। यदि किसी मतपत्र के संबंध में आपत्ति/ संदेह बनी रहती है तो ऐसे मतपत्रों को रबर बैन्ड से एक बन्डल बनाकर रख लिया जायेगा एवं मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा इसे निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर आपत्तियों के निस्तार हेतु ले जाने का निर्णय लिया जायेगा। इसके पश्चात पाँचों मतगणना सहायकों द्वारा अभ्यर्थीवार मतों की गणना की जायेगी। मतों की गणना संबंधित टेबुल पर कार्यरत पाँच मतगणना सहायक द्वारा एक साथ की जाएगी और गणना पर्यवेक्षक द्वारा उसपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि गणना में किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं हो सके। इस तरह अभ्यर्थीवार गणना कर मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा प्रपत्र-19 में इसे अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित किया जायेगा एवं इस प्रपत्र में नीचे उपयुक्त स्थान पर अपना हस्ताक्षर किया जायेगा। पुनः अभ्यर्थीवार इन बण्डलों को एवं प्रपत्र-19 को उक्त वर्णित संदिग्ध मतपत्रों के साथ निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर ले जाया जायेगा। उन बन्डलों पर एक जाँच पर्ची लगाई जायेगी जिसपर मतदान केन्द्र संख्या और बन्डल के मतपत्रों की संख्या अंकित हो। निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपनी मेज पर ऐसी व्यवस्था रखेंगे ताकि अभ्यर्थीवार बन्डलों को पृथक-पृथक कर रख सकें। निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने निकट कुछ सहायक रख सकते हैं ताकि गणना पटलों से पर्यवेक्षक द्वारा लाये गये सभी बन्डल को सही तरीके से रख सकें। निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी इस तरह प्राप्त बण्डलों में से कुछ का सत्यापन स्वयं करेंगे ताकि पता लग सके कि बण्डल में पाये गये मतपत्रों की संख्या के अनुसार प्रपत्र-19 में संख्या दर्ज है या नहीं। इस पटल पर निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी संदिग्ध मतपत्रों पर अपना निर्णय लेंगे। अगर आपत्तियुक्त/ सन्देहात्मक मतपत्रों में से कुछ अभ्यर्थियों के पक्ष में स्वीकृत होते हैं तो प्रपत्र-19 में उनके नाम के सामने पूर्व से अंकित मतों की संख्या में बिना किसी कटिंग या ओवर राईटिंग किये + चिह्न देकर जोड़ दिया जायेगा एवं तदनुसार परिणाम निकाला जायेगा। जिन संदेहात्मक/ आपत्तियुक्त मतपत्रों को निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाता है उनपर प्रतिक्षेपित का मुहर लगाकर अलग रबर बैन्ड से बण्डल बना कर रखा जायेगा। इस प्रकार जबतक ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए मतों की गणना चलती रहेगी तबतक के लिए ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच , जिला परिषद, पंचायत समिति एवं मुखिया पदों के अभ्यर्थियों तथा उनके द्वारा नियुक्त गणन अभिकर्त्ता को गणना टेबुल पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें गणना हॉल के बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है। जिस पद की अभ्यर्थीवार मतगणना चल रही हो, मात्र उसी पद के अभ्यर्थियों/ निर्वाचन अभिकर्त्ता एवं मतगणना अभिकर्त्ता को उस कक्ष में रहने से मतगणना शान्तिपूर्ण वातावरण में चलेगी एवं किसी शोर या कोलाहल से मतगणना कर्मियों को परेशानी नहीं होगी। उक्त प्रक्रिया से आपत्तियुक्त/ सन्देहास्पद मतपत्रों के निष्पादन एवं कुछ बण्डलों की गिनती कर सत्यापन के पश्चात सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-19 में उपयुक्त स्थान पर

हस्ताक्षर किया जायेगा। इसके पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-21 तैयार कर उसपर उपयुक्त स्थान पर अपना हस्ताक्षर किया जायेगा।

(ग) ग्राम पंचायत सदस्य के मतों की गणना के पश्चात ऊपर कण्डिका (ख) में वर्णित प्रक्रिया को उस क्षेत्र के ग्राम कचहरी के पंच पदों की गणना के बारे में अपनायी जायेगी।

(घ) ग्राम कचहरी के पंच के मतों की गणना पश्चात उपर वर्णित प्रक्रिया को उस क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य पदों के मतों की गणना के बारे में अपनाई जायेगी और तत्पश्चात ग्राम पंचायत के मुखिया तथा ग्राम कचहरी के सरपंच पद के मतों की गणना भी उसी प्रक्रिया से की जायेगी। पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के मतों की गणना के पश्चात मतगणना पर्यवेक्षक प्रपत्र-20 (भाग-1) में अपने पटल का अभ्यर्थीवार मतगणना परिणाम अंकित कर उपयुक्त स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा अपना नाम एवं पदनाम अंकित करेंगे। प्रपत्र-20 (भाग-1) की प्रति इस अनुदेश के परिशिष्ट -4 में संलग्न की गई है। इसके पश्चात मतपत्रों के बण्डल एवं आपत्तियुक्त/ सन्देहास्पद मतपत्रों के बण्डल तथा प्रपत्र-20 (भाग-1) में मतगणना परिणाम निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर रखेंगे। निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी उक्त कंडिका 10 (ख) में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए मतगणना पटलों से प्राप्त प्रपत्र-20 (भाग-1) से प्रपत्र-20 (भाग-2) तैयार करेंगे जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की जानकारी हो सकेगी। सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी इसपर अपना हस्ताक्षर करेंगे एवं इसी आधार पर प्रपत्र-21 तैयार किया जायेगा जिसपर मतगणना प्रेक्षक संतुष्ट होकर अपना प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

(ङ) पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के मुखिया तथा ग्राम कचहरी के सरपंच के मतों की गणना के पश्चात उपर वर्णित प्रक्रिया को उस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य पद के मतों की गणना हेतु अपनाई जायेगी। जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थीवार मतों की गणना के पश्चात मतगणना पर्यवेक्षक प्रपत्र-20 (भाग-1) में अपने पटल का अभ्यर्थीवार मतगणना परिणाम अंकित कर उपयुक्त स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे एवं अपना नाम एवं पदनाम अंकित करेंगे। इसके पश्चात मतपत्रों के बण्डल एवं आपत्तियुक्त/ सन्देहास्पद मतपत्रों के बण्डल तथा प्रपत्र-20 (भाग-1) में मतगणना परिणाम निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर रखेंगे। निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी उक्त कंडिका 10 (ख) में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सभी मतगणना पटलों से प्राप्त प्रपत्र-20 (भाग-1) से प्रपत्र-20 (भाग-2) तैयार करेंगे जिससे इस पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की जानकारी हो सकेगी। प्रपत्र-20 (भाग-2) इस अनुदेश के साथ संलग्न किया गया है। इस तरह जिला परिषद के इस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्य पंचायतों का भी मतगणना परिणाम अभ्यर्थीवार प्रपत्र-20 (भाग-2) में संकलित किया जायेगा। इस संकलन के पश्चात इस क्षेत्र के संभी पंचायतों में अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की जानकारी हेतु इस अनुदेश के साथ संलग्न प्रपत्र-20 (भाग-3) में इनका संकलन किया जायेगा। प्रपत्र-20 (भाग-2) एवं प्रपत्र-20 (भाग-3) पर उपयुक्त स्थान पर सहायत निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर किया जायेगा तत्पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-21 तैयार कर उस पर मतगणना प्रेक्षक का प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जायेगी। मतगणना प्रेक्षक मतगणना प्रक्रिया पर नजर रखेंगे एवं सन्तुष्ट होकर अपना प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

(च) जिला परिषद के सदस्यों के लिए गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अधीन 8 से 10 ग्राम पंचायत शामिल होंगे इसलिए जिला परिषद के सदस्य पदों के लिए मतों की गणना अन्त में की जायेगी। ऐसी स्थिति में गणना हॉल के अन्दर सिर्फ जिला परिषद के अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा गणन अभिकर्त्ता रहेंगे और उनके लिए आसानी से गणना हॉल के अन्दर प्रत्येक टेबुल पर जा-जा कर गणना प्रक्रिया पर सही निगरानी रखना आसान होगा। गणना के साथ-साथ गणना पर्यवेक्षक अपने दल के पाँच गणना सहायकों पर भी नियंत्रण रखेगा।

जिला परिषद सदस्य के पद के मतों की गणना की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी तथा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता एवं गणन अभिकर्त्ता को गणना हॉल से बाहर कर दिया जायेगा और तत्पश्चात उपर्युक्त तरीके से मतों की गणना की प्रक्रिया शेष मतदान केन्द्रों के बारे में भी अपनाई जायेगी।

(छ) अन्तिम रूप से प्रतिक्षेपित करने के पूर्व अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता, जो उपस्थित हों, उनको निरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा और यदि अभिकर्त्ता किसी मतपत्र की क्रम संख्या इस आधार पर नोट करना चाहे कि किस कारण से उसकी विधिमान्यता संदिग्ध है या किस आधार पर अस्वीकृत किया गया है तो उन्हें ऐसा नोट करने की अनुमति दी जायेगी। किसी भी हालत में किसी मतपत्र को हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. किसी मतपत्र को अस्वीकृत/प्रतिक्षेपित करने का आधार बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-75 (1) के (क) से (झ) तक उल्लिखित है। सहज प्रसंग के लिए नियम का सुसंगत उद्धरण नीचे दिया जा रहा है।

``75. मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना –(1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जायगा, यदि

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या
(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या
(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या
(घ) उस पर प्रभेदक चिह्न या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, या
(ङ) मतपत्र चिह्नित नहीं किया गया है, या
(च) एक से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिह्न लगाया गया है, या
(छ) उस पर विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया गया है;
(ज) मतपत्र प्रपत्र-9 में अंकित किसी अभ्यर्थी का नाम या अभ्यर्थियों के नाम क्रम/या किसी अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक के अनुरूप नहीं मुद्रित हो;
(झ) ऐसा कोई अन्य आधार जो आयोग द्वारा सामान्य या विशिष्ट निदेश से विहित किया गया हो :

परन्तु यह कि निर्वाची पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जोने पर कि खण्ड (घ) में वर्णित त्रुटि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी की भूल के कारण हुई है, यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (घ) की त्रुटि के आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि मतदाता द्वारा अंकित किये गये चिह्न का विस्तार मतपत्र के दो कॉलमों में हो गया हो तो उस मत की गणना उस अभ्यर्थी के पक्ष में की जाएगी जिसके कॉलम में चिह्न का अधिक भाग पड़ता हो।

प्रतिक्षेपित करने के लिए एक मुहर में ही ऊपर (क) से (छ) तक के कारणों को विनिर्दिष्ट कराकर तैयार कर ली गई मुहर से काम चलाया जा सकता है। उस विशिष्ट कारण के सामने जिस कारण वह मतपत्र अस्वीकृत (प्रतिक्षेपित) किया गया है सही (✓)का चिह्न लगा कर और नीचे हस्ताक्षर कर काम चलाया जा सकता है।

(क) **नियम 75 (1) (घ)** के अनुसार मतपेटिका में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं रहने पर उसे मतों की गणना मे शामिल नहीं करना है। परन्तु नियम 75 (1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार यदि निर्वाची पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सम्बन्धित पीठासीन पदाधिकारी की भूल के कारण मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया तो उस स्थिति में सम्बन्धित मतपत्र को गणना में शामिल किया जायेगा। स्पष्टतः इस विन्दु पर काफी सोच-विचार कर निर्णय लेना आवश्यक है। यह सम्भव है कि असामाजिक तत्वों द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के पहले ही मतपत्र को लूटकर उसपर जबरदस्ती मुहर लगाकर मतपेटी में डाल दिया गया हो। इस प्रकार के मामला पर निर्णय लेने में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। ऐसे मामले में यह देख लेना आवश्यक है कि कितनी संख्या में मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। यदि किसी एक बण्डल के मतपत्र में किसी भी मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नहीं है और इस प्रकार के सभी मतपत्र पर एक विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मत डाले गए तो यह मान लिया जायेगा कि उपर्युक्त सभी मतपत्र जबरन मतपेटिका में डाले गये हैं। अतएव ऐसे मतपत्र को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। कहने का मतलब है कि छिट-पुट कुछ मतपत्र में पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं रहने पर ही नियम 75 (1) के प्रथम परन्तुक के अनुसार सम्बन्धित मतपत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। **इसमें संशय की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से आदेश प्राप्त किया जायेगा जो अन्तिम होगा।**

(ख) वर्तमान पंचायत निर्वाचन में छः पदों के लिए सफेद कागज पर छः अलग-अलग रंगों से मतपत्र छपाया गया है और सभी छः मतपत्र एक ही साथ मतदाता द्वारा मतपेटी मे डाले जायेंगे। स्पष्टतः प्रत्येक प्रकार के मतपत्र समान संख्या में होने चाहिए। यह हो सकता है कि कोई मतदाता भूलवश या अन्य किसी कारण से एक पद के मतपत्र को मतपेटिका में नहीं डालकर बाहर ले गया हो परन्तु मतपेटिका खोले जाने पर यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी मतपेटी में छः पदों में से सिर्फ एक या दो या तीन या चार या पॉच पदों के लिए ही मतपत्र उपलब्ध है तो इसे गड़बड़ माना जायेगा। कोई मतपेटी खोले जाने पर अगर यह पाया जाता है कि उसमें डाले गए छः प्रकार के मतपत्र की संख्या में काफी भिन्नता है तो यह सन्देह करना वाजिब होगा कि उक्त मतपेटी में कुछ गड़बड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि किसी एक प्रकार के मतपत्र के लगातार क्रमांकानुसार कई मतपत्रों में पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हो तथा उन मतपत्रों पर एक ही अभ्यर्थी के पक्ष में मत डाला गया हो तो उस प्रकार के मतपत्र को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति एक विशेष पद के लिए हो सकती है अथवा एक से अधिक पदों के लिए भी हो सकती है। उन सभी मामलों में सम्बन्धित मतपत्रों को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। **इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को भेजेगा और उसपर जिला पदाधिकारी का आदेश, जो अन्तिम होगा, प्राप्त करेगा और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी। तबतक के लिए मतों की गणना का परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा।**

(ग) विकृत मतपत्र के बारे में **नियम 75 (1) (ग)** में उल्लेख है कि मतपत्र इसप्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत हो सकता है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है। आम तौर पर मतपेटी में या मतपत्र पर पानी, स्याही या अन्य तरल पदार्थ डालकर उसे क्षतिग्रस्त किया जाता है। मतपेटिका में स्याही या अन्य पदार्थ डाले जाने के कारण डाले गए मतपत्र विकृत (defaced) हुआ या नहीं इसके बारे में सही निर्णय मतपेटिका खोलने के बाद ही हो सकता है। अतएव यह कल्पना करना कि स्याही या अन्य पदार्थ डालने के कारण मतपेटिका के अन्दर मतपत्र विकृत हो गए, सर्वथा निराधार होगा। मतपेटिका में स्याही या अन्य पदार्थ डालने पर यह कदापि स्वतः साबित नहीं हो जाता है कि मतपेटिका में डाले गये मतपत्र विकृत (defaced) हो गए हैं। मूल रूप से यह देखना है कि मतपेटी में या मतपत्र पर स्याही आदि डालने के कारण मतपत्र किस तरह से विकृत या क्षतिग्रस्त हुआ है। यदि मतपत्र इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता है या उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस अभ्यर्थी के पक्ष में वोट डाला गया है तो ऐसी स्थिति मे उन मतपत्रो को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार के मतपत्रों को सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़े जाने पर भी यदि उस अभ्यर्थी को प्राप्त मतपत्र सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतपत्र से कम हो तो उस स्थिति में इस प्रकार क्षतिग्रस्त मतपत्र को नजरअन्दाज किया जायेगा क्योंकि इससे निर्वाचन का फलाफल दूषित नहीं होता है, अन्यथा इसके बारे में विस्तृत प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को भेजा जायेगा और उसपर जिला पदाधिकारी का आदेश, जो अन्तिम होगा, प्राप्त किया जायेगा और तदुपरान्त आगे की कार्रवाई की जायेगी।

12. इसके अलावा किसी मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि :–

(क) किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक चिह्न लगाये गये हैं, या,

(ख) एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग में भी चिह्न लगे हुए हैं, या

(ग) वह चिह्न किसी एक उम्मीदवार के खाने में लगकर चिह्न का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या

(घ) मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक वार लगाया गया है यदि मतपत्र चिन्हित किये जाने के ढ़ंग से स्पष्ट रूप से यह मालूम हो जाय कि वह चिह्न किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के आशय से लगाया गया है, या,

(ङ) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण अंगूठे पर लगी स्याही से जो मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अंगूठे का निशान लेते समय लगाई गई थी, मतपत्र पर हल्का सा अस्पष्ट अंगूठे का निशान या धब्बा लग गया हो।

13. विधिमान्य और अविधिमान्य मतपत्रों के दृष्टांत परिशिष्ट-8 में प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी आवश्यकतानुसार आप सहायता ले सकते हैं। किसी मतपत्र को केवल तभी अस्वीकार किया जाय जब :–

(क) उसपर कोई चिह्न न लगा हो या वह चिह्न इस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से न लगा कर अन्य प्रकार से लगाया गया हो, या,

(ख) जब चिह्न दो या अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में लगाया गया हो, या,

(ग) जब उसपर ऐसा कोई लेख या चिह्न हो जिससे मतदाता पहचाना जा सकता हो, या,

(घ) मतपत्र इतना क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वह पहचाना ही न जा सके, या

(ङ) यह मतपत्र असली न हो या जाली हो।

14. संदिग्ध मतपत्रों की श्रेणी में केवल उन्हीं मतपत्रों को रखा जाय जो वास्तव में निर्वाचन अभिकर्त्ता/ गणन अभिकर्त्ता संदिग्ध मानते हों एवं मतगणना पर्यवेक्षक के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो रहे हों ताकि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए संदिग्ध मतपत्रों की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक न हो जाय। गणना पर्यवेक्षक/ गणना सहायकों के मार्ग दर्शन हेतु मतपत्रों के वैध एवं अवैध होने संबंधी कुछ दृष्टांत इस अनुदेश पुस्तिका के परिशिष्ट-10 दिये गये हैं जिसकी पर्याप्त संख्या में फोटो कापी कराकर इनके बीच वितरित कर दिया जाना चाहिए।

15. स्पष्ट किया जाता है कि :-

(1) पंचायत समिति, ग्राम कचहरी के सरपंच तथा ग्राम पंचायत मुखिया के लिए निर्वाची पदाधिकारी एक ही हैं, इसलिए इन तीनों पदों के बारे में आवश्यक आदेश उनके द्वारा दिया जायेगा। जिला परिषद के सदस्य के बारे में अभ्यर्थीवार तथा ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार (मतदान केन्द्रवार) सूचना संलग्न प्रपत्र-20 (भाग-1), प्रपत्र-20(भाग-2) एवं प्रपत्र-20 (भाग-3) में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जिला परिषद के निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला परिषद के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इनका मिलान कर जिला परिषद सदस्य के बारे में प्रपत्र-21 तैयार किया जायेगा जिसपर मतगणना प्रेक्षक संतुष्ट होकर अपना प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। इसके पश्चात जिला परिषद के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-22 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

(2) मतपत्रों के बंडलों को यथा संभव, मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या के अनुसार जाँच की जायेगी। मतपत्र लेखा के साथ बंडलों में उपलब्ध मतपत्रों की कुल संख्या से संतुष्ट हो लेने के बाद `संदिग्ध' बंडल के मतपत्र की समीक्षा कर ली जाय। विधि मान्य मतपत्रों के बंडलों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभ्यर्थीवार सही रूप से छांटे गये हैं, परीक्षात्मक जाँच करनी चाहिए। यह परीक्षात्मक जाँच मतपत्रों के बन्डलों को रूपये के नोटों की तरह

उलटते हुए उन अभ्यर्थी के प्रतीकों पर जिसके पक्ष में मत अंकित किया गया है, दृष्टि रखते हुए कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उन बन्डलों में ऐसा कोई मतपत्र नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। यदि उपर्युक्त ढ़ंग से किसी बन्डल के मतपत्रों को उलटकर देखने पर यह पता चले कि उसमें कुछ ऐसे मतपत्र हैं जिन्हें या तो अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था या जिन्हें किसी दूसरे अभ्यर्थी के बन्डल में रखा जाना चाहिए था तो उस बन्डल के सभी मतपत्रों की गणना कर लेनी चाहिए और यदि ऐसी गणना करने से युक्तियुक्त संदेह हो कि ऐसा हो सकता है कि उस बन्डल की गणना करने वाले गणना कर्मचारियों ने जिन अन्य बन्डलों की गणना की है उसमें भी उन्होंने वैसी ही गलतियाँ की होगी, तो उनसे भिन्न गणना कर्मचारियों के किसी दूसरे समूह द्वारा उन अन्य बन्डलों की पुनः गणना करने का निदेश दे सकते हैं। यह परीक्षात्मक जाँच प्रत्येक मतगणना केन्द्र में सभी गणना पटलों की गणना के लिए की जानी चाहिए।

(3) मतगणना में और अधिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों के विधिमान्य मतपत्र के बंडलों की कुल संख्या के 5 प्रतिशत बंडलों की गणना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपनी मेज पर करनी चाहिए। उन 5 प्रतिशत बंडलों का चयन इस प्रकार किया जाए कि उनमें निर्वाचन लड़ने वाले भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों के बंडल हों। इस प्रयोजन के लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी या किसी दूसरे प्राधिकृत पदाधिकारी की सहायता ले सकते हैं।

(4) समीक्षा पूरी कर लेने के पश्चात उन ``संदिग्ध'' मतपत्रों को जिनको किसी अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत होना स्वीकार कर लिया गया है, उनसे संबंधित अभ्यर्थियों के बन्डलों में रख दिया जाए और संदिग्ध अन्य मतपत्रों को जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है, अस्वीकृत (प्रतिक्षेपित) मतपत्रों के बन्डल में रख दिया जाए। सभी बंडलों की इस प्रकार संवीक्षा कर लेने और अपने निर्णय के अनुसार मतपत्रों का आवश्यक अन्तरण कर देने के पश्चात प्रपत्र-19/प्रपत्र-20 की प्रविष्टियों को पुनरीक्षित कर दिया जाना चाहिए और ऐसा करते समय गणना पर्यवेक्षक के आँकड़ों के ऊपर कुछ न लिखें और न उन्हें काटकर पुनः लिखें, बल्कि उन आँकड़ों के आगे ही बढ़ाने या घटाने की (+ या − जैसे, 31 + 1 = 32 और 31 − 1 = 30) की आवश्यक प्रविष्टियाँ करें और उन पर अपना हस्ताक्षर कर दें।

16. इस अनुदेश के साथ परिशिष्ट 1 से 6 तक प्रपत्र-19, प्रपत्र-20 (भाग-1), प्रपत्र-20 (भाग-2), प्रपत्र-20 (भाग-3), प्रपत्र-21 एवं प्रपत्र-22 के प्रारूप संलग्न किया गया है। उसकी पर्याप्त प्रतियाँ मुद्रण/छायप्रति कराकर व्यवहार में लायी जानी है। उनमें से प्रपत्र-19, सिर्फ ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच से संबंधित होने के कारण आसानी से भरा जा सकता है। इसे पूरा कर लेने के बाद सभी प्रविष्टियों को पढ़कर सुना दिया जाए ताकि अभ्यर्थी और उनके अभिकर्त्ता इस परिणाम को नोट कर ले सकें। विकल्प के तौर पर इन प्रविष्टियों को किसी श्याम पट पर भी लिखवा सकते हैं।

17. मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य के मतों की गणना से संबंधित प्रपत्र-20 हैं और प्रपत्र-21 सभी पदों से संबंधित है। प्रपत्र-20 (तीन भागों में) में केन्द्रवार एवं अभ्यर्थीवार मतों की गणना कर अन्तिम समेकित परिणाम प्रपत्र-21 में अंकित करना है जिसे पढ़कर सुनाया जाना चाहिए या श्याम पट पर लिखवाना चाहिये ताकि अभ्यर्थी और उनके अभिकर्त्ता इस परिणाम को नोट कर सकें। प्रपत्र-19 एवं प्रपत्र-20 के आधार पर ही प्रपत्र-21 तैयार करना है, अर्थात निर्वाचन परिणाम घोषित करने के लिए तैयार करना है। पदवार निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों में से जिस अभ्यर्थी के पक्ष में सबसे अधिक विधिमान्य मत प्राप्त हुए हैं, उन्हें विधिवत औपचारिक रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

18. मतों की गणना पूरी होने के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के

बीच लॉट निकालेंगे और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकलेगा, उसे एक अतिरिक्त मत पाया हुआ माना जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर दो अभ्यर्थियों को बराबर संख्या में अधिकतम 31-31 मत प्राप्त हुआ हो तो जिसके पक्ष में लॉट निकलेगा, उसे 31 + 1 = 32 मत प्राप्त हुआ, माना जायेगा। तदनुसार प्रपत्र-20 में प्रविष्टि की जायगी। निर्वाची पदाधिकारी तदनुकूल मतगणना का परिणाम घोषित करेंगे।

(क) लॉटरी की प्रक्रिया निमनवत होगी :-

(i) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को **संलग्न प्रपत्र** (परिशिष्ट-9) में सूचना देकर यह बतलाया जाएगा कि फलांफलां प्रत्याशियों को बराबर-बराबर मत (मतों की संख्या अंकित की जाएगी)प्राप्त होने के कारण लॉटरी द्वारा परिणाम निकालने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जा रही है। सूचना पत्र पर सभी उपस्थित प्रत्याशियों का हस्ताक्षर ले लिया जाएगा।

(ii) लॉटरी के लिए सफेद कागज की पर्ची का प्रयोग किया जाएगा। पर्ची के कागज का साईज ए-4 साईज के कागज का चौथाई हिस्सा (1/ 4 वां) होगा। प्रत्येक पर्ची समान साईज की होगी। साईज में तनिक भी अंतर नहीं होगा। पर्ची बिल्कुल सादी (blank) होगी तथा सादी पर्ची उपस्थित सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिखला दी जाएगी ताकि यह संदेह न हो कि पर्ची पर पहले से कुछ लिखा हुआ है। प्रत्येक पर्ची पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा स्वयं प्रत्याशी का नाम काले रंग से स्केच पेन से लिखा जाएगा तथा प्रत्येक पर्ची पर निचले हिस्से में तिथि सहित अपना हस्ताक्षर किया जाएगा। जितने प्रत्याशियों के बीच लॉटरी निकाली जानी है, पर्ची की संख्या उतनी ही रखी जाएगी। अर्थात अगर दो प्रत्याशियों को समान संख्या में मत मिले हों, तो उन दोनों के बीच लॉटरी निकालने हेतु मात्र दो पर्चियों और अगर तीन प्रत्याशियों को समान मत मिले हों तो लॉटरी निकालने हेतु मात्र तीन पर्चियों का उपयोग किया जाएगा। दो प्रत्याशियों के मामले में एक पर्ची पर पहले प्रत्याशी का नाम एवं दूसरी पर्ची पर दूसरे प्रत्याशी का नाम निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। इसी प्रकार तीन प्रत्याशियों के मामले में तीन अलग-अलग पर्ची पर पहले, दूसरे एवं तीसरे प्रत्याशी का नाम लिखा जाएगा। पर्चियों में नाम लिखने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी पर्चियां उपस्थित प्रत्याशियों को प्रदर्शित की जाएंगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रत्येक पर्ची में अलग-अलग प्रत्याशी के नाम अंकित हैं, किसी एक प्रत्याशी का नाम दो या अधिक पर्चियों में अंकित नहीं किया गया है। पर्चियों का प्रदर्शन कर देने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक पर्ची को चार फोल्ड में मोड़कर वहाँ उपस्थित किसी ऐसे सरकारी कर्मी से जो उक्त लॉटरी की उक्त प्रक्रिया में भाग नहीं लिया हो को, उन पर्चियों को वहाँ विशेष रूप से रखे गए एक छोटे अपारदर्शी डिब्बे में रखने हेतु कहेगा। डिब्बे में पर्चियों को रखे जाने के पहले डिब्बा सभी प्रत्याशियों को दिखला दिया जाएगा कि वह पूर्णतः खाली है एवं उसमें पहले से कोई पर्ची आदि नहीं रखी हुई है। डिब्बे में पर्चियों को रख देने के पश्चात उस कर्मी द्वारा डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा।

(iii) लॉटरी के लिए पर्ची निकालने हेतु ऐसे सरकारी कर्मी का चयन किया जाएगा जो पर्ची बनाए जाने, उस पर नाम लिखे जाने, फोल्ड करने तथा डिब्बे में बंद किए जाने के समय वहाँ मौजूद नहीं रहा हो। इस कार्य हेतु निर्वाची पदाधिकारी अपने कार्यालय के किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को भी नामित कर सकते हैं जो लॉटरी की उक्त प्रक्रिया में भाग नहीं लिया हो।

(iv) डिब्बे में पर्चियों के बंद हो जाने के पश्चात उस नामित व्यक्ति को अंदर बुलाया जाएगा तथा उसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कहा जाएगा कि वह डिब्बे को अच्छी तरह हिलाकर उसे खोले एवं उसमे से कोई एक पर्ची बाहर निकाले।

(v) नामित व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी एवं उपस्थित प्रत्याशियों के समक्ष डिब्बे में से कोई एक पर्ची बाहर निकालकर उसे खोलेगा, उसमें अंकित नाम को जोर से पढ़ेगा ताकि सभी सुन लें तथा पर्ची को निर्वाची पदाधिकारी को सौंप देगा। निर्वाची पदाधिकारी उस पर्ची के नीचे निर्वाचित लिख कर तिथि एवं समय सहित

पुनः अपना हस्ताक्षर करेगा तथा उस प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित करते हुए निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा।

(vi) निर्वाचन परिणाम घोषित कर देने के पश्चात सभी पर्चियों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा एक लिफाफे में सीलबन्द कर निर्वाचन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा।

(vii) पर्ची बनाने से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित करने तक की **पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी तथा इसे अभिलिखित भी किया जाएगा। कार्यवाही के अंत में उस पर निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ लॉटरी निकालने वाले व्यक्ति तथा उपस्थित प्रत्याशियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।**

(viii) किसी भी स्थिति में लॉटरी निकालने का काम स्थगित नहीं किया जाएगा। **लॉटरी के परिणाम से व्यथित व्यक्ति/व्यक्तियों को दोबारा लॉटरी निकालने की माँग करने का अधिकार नहीं होगा, और अगर ऐसा कोई अनुरोध फिर भी किया जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उसे तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

19. किसी मतदान केन्द्र पर अधिक से अधिक 95% (पंचानवे प्रतिशत) तक मत डाले जाने पर उसे स्वाभाविक मानकर मतों की गणना की जायेगी तथा तदनुसार गणना का परिणाम घोषित किया जायेगा। अतएव किसी मतदान केन्द्र में डाले गये मतों का प्रतिशत 95% (पंचानवे प्रतिशत) से अधिक होने पर परिणाम की घोषणा करने से पूर्व इस पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निस्तृत प्रतिवेदन जिला निर्वाचनव पदाधिरकारी (पंचायत) के विचारार्थ निर्दिष्ट (refer) किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निम्न आधार पर मामले का निष्पादन करेंगे :-

(1) सर्वप्रथम यह देखा जाएगा कि डाले गए मतों में से विभिन्न अभ्यर्थियों को किस प्रतिशत में मत प्राप्त हुए हैं। अगर मत विभिन्न अभ्यर्थियों के बीच वितरित हैं तथा **किसी एक उम्मीदवार विशेष के पक्ष में डाले गए मतों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है,** तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को दे दी जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी विशेष को कुल वैध मतों के 90 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए हों, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा यह देखा जाएगा कि उक्त अभ्यर्थी को मतपत्रों के लगातार क्रमांक के तो वोट प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो माना जा सकता है कि उक्त मतदान केन्द्र पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त पद केलिए मतगणना परिणाम रोक दिया जाएगा तथा सभी सारभूत तथ्यों का उल्लेख करते हुए आयोग से अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेश प्राप्त किया जाएगा।

(2) इसी प्रकार किसी मतदान केन्द्र पर कुल छः पदों के मतों की गणना में अगर यह पाया जाता है कि 5 या उससे अनधिक पदों के लिए मतदान का प्रतिशत मोटा-मोटी एक समान है, किन्तु किसी पद विशेष में मतदान का प्रतिशत अन्य पदों के मतदान के प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक अथवा असामान्य है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संबंधित पद विशेष के मतदान में अनियमितता हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त पद के लिए मतगणना परिणाम रोक दिया जाएगा तथा सभी सारभूत तथ्यों का उल्लेख करते हुए आयोग से अग्रेतर कार्रवाई हेतु निदेश प्राप्त किया जाएगा।

(3) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ऐसे मामलों पर विचार करते समय यह भी देखेंगे कि जिस मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर उपर्युक्त कंडिका (1) अथवा कंडिका (2) की स्थिति उत्पन्न हुई है, उनमें किसी प्रत्याशी को सभी मत प्राप्त हो जाने पर भी उक्त पद का निर्वाचन परिणाम प्रभावित होगा अथवा नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है कि सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों के बीच प्राप्त

मतों का अंतर संबंधित मतदान केन्द्र के मतदाताओं की कुल संख्या से अधिक है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में संदर्भित मतदान केन्द्र के मतदाताओं से निर्वाचन का परिणाम प्रभावित नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, किसी ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए डाले गए मतों की संख्या अगर 3700 है और उनमें से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों में से एक को 1500 मत और दूसरे उम्मीदवार को 800 मत प्राप्त हुआ है और संदर्भित मतदान केन्द्र के मतदाताओं की संख्या 300 है, तो सभी 300 मत दूसरे उम्मीदवार, जिन्हें 800 मत प्राप्त हुआ है, को प्राप्त होने पर भी उन्हें 800□300 =1100 (ग्यारह सौ) मत ही प्राप्त होंगे जो कि पहले उम्मीदवार, जिन्हें 1500 मत प्राप्त हुआ है, से कम है। ऐसी स्थिति में 1500 मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

किन्तु अगर संदर्भित मतदान केन्द्र के कुल मतों के जोड़ने से दो निकटतम उम्मीदवारों के निर्वाचन परिणाम प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो, तब यह मामला आयोग को मार्गनिदेश प्राप्त करने हेतु भेजा जाएगा तथा निदेश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

उपर्युक्त स्थितियों से भिन्न अन्य कोई भी मामला आयोग के आदेश अथवा मार्गदर्शन हेतु नहीं भेजा जाएगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) स्वयं विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे जो अंतिम माना जाएगा।

यदि मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात अन्य विशिष्ट कारणों से भी प्रेक्षक अथवा निर्वाची पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिणाम की घोषणा के पूर्व आयोग की अनुमति आवश्यक है तो पूरे विवरण के साथ मामला जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को निर्दिष्ट (refer) किया जायेगा एवं आयोग के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी।

20. मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-22 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा जिसपर निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर तथा पदनाम की मुहर भी रहेगी। तदनुसार पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम कचहरी के पंच/ ग्राम कचहरी के सरपंच तथा ग्राम पंचायत के मुखिया के पदों के बारे में निर्वाचन प्रमाण-पत्र संबंधित पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के सदस्य के बारे में निर्वाचन प्रमाण-पत्र जिला परिषद के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। चूंकि जिला परिषद के सदस्य से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति सम्मिलित है, इसलिए जिला परिषद के सदस्य के बारे में निम्न प्रकार से कार्रवाई की जायेगी :-

पंचायत समिति के निर्वाची पदाधिकारी, जो कि ग्राम पंचायत के निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला परिषद के सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी हैं, द्वारा उनके अधीन पंचायत समिति के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/ मतदान केन्द्रवार मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात् पंचायत समिति के क्षेत्राधीन जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में निर्वाचन क्षेत्रवार/ उम्मीदवारवार प्राप्त मतों की संख्या प्रपत्र-20 (भाग -1, भाग-2 एवं भाग-3) में अंकित कर उसे जिला परिषद् के निर्वाची पदाधिकारी के पास तुरत भेज देंगे और उसके आधार पर जिला परिषद् के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-22 में निर्वाचन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

21. ऐसी भी संभावना है कि मतदाताओं द्वारा कतिपय मतदान केन्द्रों पर मतदान का बहिष्कार किया गया हो, वैसी स्थिति में संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया वैध रूप से सम्पन्न हुई समझी जायेगी तथा मतों की गणना में इस प्रकार के मतदान केन्द्रों में डाले गये मतों को भी गणना में शामिल किया जायेगा। पर चूंकि इस प्रकार

के मतदान केन्द्रों पर वास्तव में कोई मतदान नहीं हुआ है इसी लिए डाले गये मतों की संख्या `0' मानकर उक्त मतदान केन्द्रों से संबंधित चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को `शून्य' मत प्राप्त हुआ समझकर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में `+0' अंकित की जायेगी और तदनुसार जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य एवं ग्राम पंचायत के मुखिया/ सरपंच पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार की जायेगी तथा मतदान का परिणाम घोषित किया जायेगा। मतदान का बहिष्कार किये गये मतदान केन्द्रों से संबंधित ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन हेतु नये सिरे से निर्वाचन की कार्रवाई की जायेगी।

22. यह संभव है कि भूल के कारण दो या अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मतपत्रों के वितरण में रद्दोबदल हो गया हो, जिसके चलते एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतपत्र दूसरे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर पहुँच गया हो। इस प्रकार की अनियमितता मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यो के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में होने की सम्भावना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मामलों में ऐसी गलती प्रकाश में आने के तुरत बाद उसका समाधान भी किया गया हो, किन्तु तबतक सम्बन्धित मतदान केन्द्रों में मत डाला गया हो। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति/ जिला परिषद के सदस्य के बारे में मतों की गणना की जायेगी और यदि ऐसा पाया जाता है कि सबसे अधिक मतपत्र प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों के बीच मतों का अन्तर (difference between the winning and the nearest loosing candidates) गलत तरीके से बांटे/ डाले गए मतपत्र से अधिक है तो मतगणना का फलाफल घोषित किया जायेगा। मूल रूप से यह देखना है कि गलत वितरण के कारण जिन मतपत्रों पर गलत मतदान केन्द्र में मत डाल दिया गया हो उन सभी मतपत्रों को सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के नाम पर जोड़े जाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी को सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले से अधिक मत प्राप्त हो जाता या नहीं। अगर ऐसे जोड़े जाने पर भी कम मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी के पक्ष में प्राप्त मत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की तुलना में कम रहता है तो यह समझा जायेगा कि कथित मतपत्र के गलत वितरण के कारण निर्वाचन का फलाफल प्रभावित नहीं हुआ है। उदाहरण स्वरूप, पंचायत समिति के सदस्य के लिए अभ्यर्थी ``क'' के पक्ष में 3000 मत प्राप्त हुआ जबकि उनसे नीचे के उम्मीदवार ``ख'' को 1800 मत प्राप्त हुआ। यदि गलत वितरण के कारण किसी विशेष मतदान केन्द्र में 12 मतपत्र डाला गया है और वह 12 मतपत्र उम्मीदवार ``ख'' के पक्ष में जोड़ा जायेगा तो भी उन्हें 1800 + 12 = 1812 मत प्राप्त हुआ जो कि अभ्यर्थी ``क'' को प्राप्त 3000 मत से कम है। इस परिस्थिति में अभ्यर्थी ``क'' को विजयी घोषित किया जायेगा क्योंकि कथित गलत वितरण के कारण निर्वाचन का अन्तिम परिणाम प्रभावित नहीं होता है। अन्तिम परिणाम प्रभावित होने की स्थिति में इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी-सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से आयोग को भेजा जायेगा तथा आयोग के आदेश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जायेगी।

अध्याय–12

गणना की समाप्ति के पूर्व मतपत्रों के विनष्ट हो जाने, हानि पहुँच जाने आदि की दशा में अपनाई जाने वाली कार्रवाई

मतगणना के क्रम में यह बात प्रकाश में आ सकती है कि मतदान के सिलसिले में किसी मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर भयंकर अनियमितता कराई गयी है, अथवा मतगणना के दौरान अनधिकृत एवं गैर कानूनी ढ़ंग से मतपेटी/ मतपत्र को विनष्ट किया गया है या हानि पहुँचाई गई है या कोई आपातकालीन घटना घट जाने के कारण मतदान का परिणाम दूषित हुआ है या परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो **नियम–74 (3)** के अन्तर्गत निर्वाची पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से सभी तथ्यों के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को विस्तृत प्रतिवेदन तुरत भेजेंगे और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। पर अन्य मतदान केन्द्रों के संबंध में मतगणना की कार्यवाही जारी रखेंगे। इस संबंध में सारभूत

बात यह देखनी चाहिए कि वस्तुतः घटित घटना से मतदान प्रदूषित हुआ है या नहीं, अर्थात परिणाम अभिनिश्चित करना संभव है या नहीं।

अध्याय-13

मतगणना परिणाम की घोषणा की कार्रवाई

1. प्रपत्र-19 एवं 20 को अच्छी तरह से तैयार कर लेने तथा आँकड़ों संबंधी घोषणा कर देने के बाद एक दो मिनट के लिए कार्यवाही रोक देनी चाहिए। इस अवधि के दौरान कोई अभ्यर्थी या उनकी अनुपस्थिति में उनका निर्वाचन अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता पुनर्गणना की माँग करता है तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसको पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन पत्र देने में कितना समय लगेगा। आवेदन देने के लिए समय निर्धारित कर देना चाहिए और लिखित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसमें बताए गए आधारों पर सम्यक् रूप से विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाय। यदि आवेदन पत्र युक्तियुक्त हो, तो उसे पूर्णतः या आंशिक स्वीकार किया जा सकता है। और यदि जाँच के बाद पुनर्गणना की मांग बेबुनियाद सिद्ध हो तो उसे सीधे अस्वीकृत किया जाय। **किसी अभ्यर्थी द्वारा मतों की पुनर्गणना की मांग करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि उसके कहने मात्र से ही पुनर्गणना की माँग स्वीकार कर ली जाए।** पुनर्गणना की माँग करने वाले पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि पुनर्गणना हेतु ठोस आधार है। इस संबंध में निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा लेकिन प्रत्येक मामले में निर्णय के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित कर देना चाहिए। यदि किसी मामले में पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार किया जाता है, तो उक्त निर्णय के अनुसार उन मतपत्रों की पुनर्गणना करानी चाहिए। पुनर्गणना का अर्थ मूर्त्त रूप में मतगणना की पुनरावृत्ति मात्र नहीं है वरन् प्रत्येक मतपत्र की पुनः संवीक्षा करनी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जिन मतपत्रों की गिनती विधिमान्य हैं और यदि वे विधिमान्य हैं, तो वह मत किस उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है।

2. पुनर्गणना पूरी हो जाने के बाद परिणाम प्रारूप को आवश्यकतानुसार जोड़/घटाव कर, जैसा कि ऊपर अध्याय 10 की कंडिका 15(4) में दिखाया गया है, संशोधित कर लें और उनकी घोषणा कर दें। किसी भी परिस्थिति में दोबारा पुनर्मतगणना के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा और अन्तिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद पुनर्गणना के लिखित/मौखिक अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. पंचायत निकायों के विभिन्न पदों के लिए डाले गयो मतों की गणना उपरांत, सिर्फ ऐसे मामले जिसमें आयोग स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही मतगणना परिणाम घोषित किया जाना है को छोड़कर, शेष सभी मामले में मतगणना परिणाम की विधिवत घोषणा एवं सम्यकरुपेण निर्वाचित अभ्यर्थी को तत्संबंधी निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रपत्र-22 में अविलम्ब हस्तगत करायें। जिला परिषद के सदस्य पद के मामले में अधीनस्थ सभी संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी (जिला परिषद) को निदेशित करें कि निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार कर निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी को अविलंब भेजे तथा अनुमण्डल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी से निर्वाचन परिणाम की विवरणी प्राप्त होते ही निर्वाचन परिणाम की विधिवत घोषणा तुरत करेगें, साथ ही सम्यक रुप से निर्वाचित अभ्यर्थी को तत्संबंधी निर्वाचन प्रमाण पत्र भी प्रपत्र 22 में अविलंब हस्तगत करायेंगे।

अध्याय-14

मतों की गणना के पश्चात मतपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा

1. मतों की गणना के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी ग्राम कचहरी के पंच/ग्राम कचहरी के सरपंच/ग्राम पंचायत के सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य/जिला परिषद के सदस्य एवं ग्राम पंचायत के मुखिया के निर्वाचनों से

संबंधित कागजातों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे। निम्नांकित कागजात/ अभिलेख सुरक्षित रखें जाने हैं –

(i) प्रतिपर्ण सहित अव्यवहृत मतपत्रों के पैकेट।

(ii) व्यवहृत मतपत्रों के पैकेट, चाहे वे विधिमान्य, निविदत्त या प्रतिक्षेपित मतपत्र हों।

(iii) व्यवहृत मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट।

(iv) निर्वाचक सूची की चिह्नित प्रतियों के पैकेट।

2(i). पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 76 (3) के अनुसार – तत्पश्चात विधिमान्य मतपत्रों को बंडल में बाँधा जाएगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ पृथक पैकेट में सीलबन्द किया जाएगा जिसपर निम्नलिखित विशिष्टियाँ अभिलिखित की जाएँगी, यथा –

(क) ग्राम पंचायत के सदस्य/ ग्राम कचहरी के पंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम एवं संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, मुखिया/ सरपंच के निर्वाचन के मामले में ग्राम पंचायत का नाम एवं संख्या तथा पंचायत समिति/ जिला परिषद के सदस्य के निर्वाचन के मामले में, यथास्थिति, पंचायत समिति, जिला परिषद् का नाम एवं संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या;

(ख) उस मतदान केन्द्र का नाम एवं क्रमांक जिसके मतपत्र हों; और

(ग) मतगणना की तारीख।

2(ii). मतगणना समाप्त होने के पश्चात निर्वाची पदाधिकारी अपने निजी मुहर (मेटल सील– R) से उपर्युक्त कागजातों के पैकेटों को मुहर बन्द करेंगे। पैकेटों पर मुहर लगा दिये जाने के बाद अभ्यर्थी/ उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता/ गणन अभिकर्त्ता यदि चाहें तो उसपर अपना कोई मुहर लगा सकते हैं। ये अतिरिक्त मुहरें होंगी।

3. उपर्युक्त सभी पैकेटों (निविदत्त मतपत्रों के पैकेटों के अलावा) को जो मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त होते हैं, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा तुरंत मुहर बन्द किया जाना है। इन सभी पैकेटों को मुहरबन्द किये जाने के बाद एक स्टील ट्रंक में रखा जाना है। जैसे-जैसे मतगणना होती जायेगी, संबंधित पैकेटों पर मुहर लगाकर उन्हें स्टील ट्रंक में रखते जाना होगा।

4. मुहर बन्द पैकेटों के पर्यवेक्षण के लिए एक उत्तरदायी प्रभारी पदाधिकारी को रखना आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण कागजात को इधर–उधर होने से बचाया जा सके। कृपया नोट करें कि इन अभिलेख/कागजात को सही ढंग से रखने पर ही निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के क्रम में न्यायालय द्वारा कागजातों की मांग करने पर सुगमतापूर्वक न्यायालय में उपस्थापित किया जा सकेगा।

5. प्रत्येक स्टील ट्रंक को दो तालों से ताला बन्द किया जायेगा। प्रत्येक ताले को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अपने मुहर से मुहरबन्द किया जायेगा।

6. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद उसी दिन मुहरबन्द स्टील ट्रंक को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के मुख्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में भंडारण हेतु भेज देना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) इन मुहरबन्द ट्रंकों को प्राप्त करने के पश्चात उन्हें जिला पंचायती राज पदाधिकारी के प्रभार में सुरक्षित अभिरक्षा में दोहरे ताले के अधीन भंडारण करने की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक स्टील ट्रंक के एक ताले की चाभी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंप दिया जायगा और उनसे इसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली जायेगी और प्रत्येक ट्रंक के दूसरे ताले की चाभी स्वयं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

7. संबंधित भवन, जहाँ पर मतपत्रों की गणना के पूर्व मतपेटियों के रखने के लिए वज्रगृह बनाया गया है, उसपर तैनात सशस्त्र बल (पुलिस) को गणना की समाप्ति के पश्चात तुरन्त हटाना नहीं चाहिए। सशस्त्र बल (पुलिस गार्ड) तब तक निर्वाचन कागजातों की सुरक्षा करते रहेंगे जब तक कि निर्वाचन कागजात से संबंधित मुहरबन्द स्टील ट्रंक जिला मुख्यालय मे परिवहन कर पहुँचाया न जा सके। जहाँ तक संभव हो उसी गार्ड का उपयोग मुहरबन्द स्टील ट्रंक के परिवहन के समय भी संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, जिसका उल्लेख गार्ड अपने लॉग-बुक में अंकित करेगे।

प्रपत्र – 12

(नियम 48 (1) देखिये)

परिशिष्ट–1
पंचायत निर्वाचन

गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.............................. से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.............................. से ....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या.. से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या.. से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.............................. से ....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.............................. से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

---

* मैं, (अभ्यर्थी का नाम) ...., जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/

* मैं, (निर्वाचन अभिकर्त्ता का नाम) ....जो

श्री/सुश्री/श्रीमती .... जो उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं, का निर्वाचन अभिकर्त्ता हूँ,

एतद् द्वारा श्री/सुश्री/श्रीमती .... पता ....

को मतगणना के दौरान ....स्थान पर गणन अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ।

स्थान ....

तारीख .... अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मैं गणन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान ....

तारीख .... गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(गणन अभिकर्त्ता की घोषणा जिसपर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।)

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में अध्यादेश एवं उसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान ....

तारीख .... गणन अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया।

निर्वाचीपदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–2
पंचायत निर्वाचन

प्रपत्र – 19

(नियम 76 (2) देखिये)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र

(*सदस्य/*पंच)

जिला .... प्रखंड ....

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम ....

ग्राम पंचायत ....

मतदान केन्द्र संख्या .... स्थान ....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या।
1.		
2.		
3.	ऊपर में से कोई नहीं	
	योग –	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या –

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या –
(क + ख)

मतगणना पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर
नाम :-
पदनाम :-

मतगणना का स्थान ....

तारीख ....

सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम :
पद नाम :

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र – 20 (भाग–1)

(नियम 76 (2) देखिये)

(मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र

जिला .... प्रखंड .... ग्राम पंचायत ....

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से ....ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से ....ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से ....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से .... जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

टेबुल संख्या ....   मतदान केन्द्र संख्या ....

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या।
1.		
2.		
3.	ऊपर में से कोई नहीं	
	योग –	

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या –

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या –
(क + ख)

मतगणना पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर
नाम :
पद नाम :

मतगणना का स्थान ....
तारीख ....

सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम :
पद नाम :

निर्वाची पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र – 20 (भाग–2)

(नियम 76 (2) देखिये)

(मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र

जिला .... प्रखंड .... ग्राम पंचायत ....

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से ....ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से ....ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से ....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से .... जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

क्रमांक		अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या							
	मतदान केन्द्र की संख्या → अभ्यर्थी का नाम								
1.									
2.									
3.	ऊपर में से कोई नहीं								
(क) विधिमान्य मतों की संख्या –									
(ख) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या –									
(ग) डाले गये मतों की संख्या – (क + ख)									

सहायक निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम :
पद नाम :

निर्वाची पदाधिकारी/ निर्वाची पदाधिकारी
द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र – 20 (भाग–3)

(नियम 76 (2) देखिये)

(जिला परिषद सदस्य)

निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम–पत्र

जिला .... प्रखंड ....

जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... से .... जिला परिषद् के सदस्य के लिए निर्वाचन ।

क्रमांक		अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या							
	पंचायत का नाम → अभ्यर्थी का नाम								योग
1.									
2.									
3.	ऊपर में से कोई नहीं								
(क) विधिमान्य मतों की संख्या –									
(ख) प्रतिक्षेपित मतों की संख्या –									
(ग) डाले गये मतों की संख्या – (क + ख)									

सहायक निर्वाची पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम :

पद नाम :

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट–6
पंचायत निर्वाचन

प्रपत्र – 21

(नियम 81 (1) देखिये)

निर्वाचन परिणाम की विवरणी

जिला .... प्रखंड .... ग्राम पंचायत ....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.......................... से ....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या.................................... से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या.................................... से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन ।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या।
1	2	3
1.		
2.		
3.	ऊपर में से कोई नहीं	
		योग –

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या –

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या –

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या –
(क + ख)

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि –
नाम –

पता –

उपर्युक्त पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं।
स्थान –

तारीख –

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
प्रतिहस्ताक्षर

प्रेक्षक का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रपत्र – 22

(नियम 82, 99 देखिये)

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

मैं .... निर्वाची पदाधिकारी/अध्यक्ष इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक .... माह .... वर्ष ....को श्री/सुश्री/श्रीमती.. जो श्री/श्रीमती .... के/की पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं और जो .... ग्राम .... प्रखंड .... जिला के/की निवासी हैं, को .... के रूप में
(पद लिखें)
.... से, जो ....
(निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम लिखें) **(आरक्षण कोटि लिखें)**
के लिए आरक्षित/अनारक्षित है, सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निंर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया है।

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी / अध्यक्ष का हस्ताक्षर

(पदनाम की मुहर)

प्रपत्र – 23

(नियम 83 देखिये)

निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 83 के अनुसरण में मैं एतदद्वारा यह अधिसूचित करता हूँ कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में नामित व्यक्ति, स्तम्भ (2) में अंकित पद पर, स्तम्भ (5) में वर्णित ग्राम कचहरी/ ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है :-

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पद का विवरण			ग्राम कचहरी/ ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद जिससे पद संबंधित है (निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम सहित)
	पद	आरक्षित/ अनारक्षित	महिला/ अन्य	
1	2	3	4	5

स्थान ....

तारीख ....

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

टिप्पणी (1) यदि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब स्तम्भ 3 में आरक्षित कोटि के नाम का उल्लेख किया जाये, यथा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग। यदि निर्वाचन क्षेत्र अनारक्षित कोटि के अन्तर्गत आता है तब ``अनारक्षित'' का उल्लेख किया जाये।

(2) यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित है तब स्तम्भ 4 में ``महिला'' शब्द का उल्लेख किया जाये। यदि निर्वाचन क्षेत्र महिला के लिए आरक्षित नहीं है तब ``अन्य'' शब्द का उल्लेख किया जाये।

परिशिष्ट–9
पंचायत निर्वाचन

सूचना

जिला .... प्रखंड .... ग्राम पंचायत ....

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....ग्राम पंचायत के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या.......................... से ....ग्राम कचहरी के पंच

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..................................... से .... ग्राम पंचायत के मुखिया

*निर्वाचन क्षेत्र संख्या..................................... से .... ग्राम कचहरी के सरपंच

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....पंचायत समिति के सदस्य

*प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या........................... से ....जिला परिषद् के सदस्य

के लिए निर्वाचन में श्री .... एवं श्री..

को बराबर-बराबर .... मत प्राप्त हुए हैं। बराबर मत प्राप्त होने के कारण बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 80 के प्रावधानों के अधीन परिणाम का विनिश्चय लॉटरी द्वारा करने हेतु कार्रवाई तुरंत आरंभ की जा रही है। कृपया लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के समय उपस्थित रहने का कष्ट करें।

दिनांक ....।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपस्थित सदस्यों/प्रत्याशियों के हस्ताक्षर

***** जो लागू नहीं हो उसे काट दें।